रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

CENTRAL STANDARD LIBRARY
6/3/90

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 787] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1989/अग्रहायण 6, 1911
No. 787] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1989/AGRAHAYANA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, नवम्बर, 27 1989

अधिसूचना

का.आ. 966(अ):—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में वर्णित प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "निर्यात" से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है,

(घ) "निर्यातकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्यात करने वाले देश की अधिकारिता के अधीन है और इसके अन्तर्गत ऐसा निर्यात करने वाला देश भी है जो परिसंकटमय रसायन का निर्यात करता है,

(ङ) "परिसंकटमय रसायन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकथित किसी मानदंड को तुष्टि करता है और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है,

(ii) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है,

(iii) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है,

(च) "आयात" से इससे व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है,

(छ) "आयातकर्ता" से ऐसा कोई अधिष्ठाता या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; जो परिसंकटमय रसायनों का आयात करता है;

(ज) "औद्योगिक क्रियाकलाप" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई प्रचालन या प्रक्रिया जो अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक संस्थापन में चलाई जाती है जिसमें एक या अधिक परिसंकटमय रसायन अन्तर्वलित हैं या होना संभाव्य है और इसके अन्तर्गत स्थल पर भण्डारण या स्थल पर परिवहन भी है, जो, यथास्थिति, उस प्रचालन या प्रक्रिया से सहयुक्त है; या

(ii) एकल भण्डारण, या

(iii) पाइप लाइन;

(झ) "एकल भंडारण" से ऐसा परिसंकटमय रसायन का भंडारण अभिप्रेत है जो अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट उसी स्थान पर किसी संस्थापन से सम्बद्ध भंडारण से भिन्न हो जहां उस भंडारण में कम से कम अनुसूची-2 में निर्धारित उस रसायन की मात्रा अन्तर्निहित हो।

(ञ) "व्यापक दुर्घटना" से ऐसी घटना जिसके अन्तर्गत कोई विभिष्ट व्यापक उत्सर्जन, अग्नि या विस्फोटक भी है, अभिप्रेत है, और जिसमें एक या अधिक परिसंकटमय रसायन अन्तर्वलित हैं और जो किसी औद्योगिक क्रियाकलाप के अनुक्रम में अनियंत्रित विकास के परिणामस्वरूप या ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण घटित होती है जिससे संस्थापन के भीतर या बाहर ऐसे तात्कालिक या दूरगामी दोनों गंभीर परिणाम होंगे जिनसे जीवन और सम्पत्ति की पर्याप्त हानि होना संभाव्य है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी है,

(ट) "पाइप लाइन" से 8 बार निरपेक्ष से कम के दबाव पर अनुसूची 3 के भाग 2 के स्तम्भ 2 में यथा वर्णित ज्वलनशील गैस से भिन्न किसी परिसंकटमय रसायन के प्रवहण के लिए कोई पाइप (उससे सहयुक्त किसी साधित्र और संकर्म सहित) या पाइप प्रणाली (उससे सहयुक्त किसी साधित्र और संकर्म सहित) अभिप्रेत है। पाइपलाइन में अन्तर-राज्यीय पाइप लाइन भी शामिल है।

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "स्थल" से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है जहां परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण या प्रसंस्करण, भण्डारकरण, हथालना, प्रयोग, व्ययन किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पूर्ण क्षेत्र भी है जो किसी अधिष्ठाता के नियंत्रणाधीन है और इसके अन्तर्गत बंगसार, जेटी या इसी प्रकार की संरचना चाहे वह प्लवमान हो या नहीं आती है।

(ढ) "देहली मात्रा" से,—

(i) अनुसूची 2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी परिसंकटमय रसायन की दशा में, स्तम्भ 3 से 4 में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उस रसायन की मात्रा,

(ii) अनुसूची 3 के भाग 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी परिसंकटमय रसायन की दशा में, उस भाग के स्तम्भ 3 से 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उस रसायन की मात्रा,

(iii) अनुसूची 3 के भाग 2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के पदार्थों की दशा में, उस भाग के स्तम्भ 3 से 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उस वर्ग के सभी पदार्थों की कुल मात्रा—

अभिप्रेत है।

3. प्राधिकरणों के कर्तव्य : इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अनुसूची 5 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. औद्योगिक क्रियाकलाप के दौरान अधिष्ठाता का साधारण उत्तरदायित्व,—

(1) यह नियम निम्नलिखित को लागू होगा :—

(क) ऐसा औद्योगिक क्रियाकलाप जिसमें ऐसा कोई परिसंकटमय रसायन जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकथित है किसी मानदण्ड की त्रुटि करता है, और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है, अन्तर्वलित है या हो सकता है, और

(ख) एकल भंडारण जिसमें स्तम्भ 2 में अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय रसायन की ऐसी देहली मात्रा अन्तर्वलित है जो उसके स्तम्भ 3 में उस रसायन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट देहली मात्रा के बराबर या उससे अधिक है।

(2) ऐसा कोई अधिष्ठाता जिसका उपनियम (1) के आधार पर औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है, यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करेगा कि उसने—

(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकटों की पहचान कर ली है, और

(ख) उसने—

(i) ऐसी व्यापक दुर्घटनाओं के निवारण के लिए और व्यक्तियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए,

(ii) स्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों को जानकारी, प्रशिक्षण और उपस्कर जिसके अन्तर्गत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साज-सामान भी है, प्रदान करने के लिए, समुचित कदम उठाये हैं।

5. व्यापक दुर्घटना की अधिसूचना :—(1) जहां किसी स्थल पर कोई व्यापक दुर्घटना घटित हो जाती है, वहां अधिष्ठाता उस दुर्घटना के के बारे में अनुसूची 5 में अभिज्ञात संबद्ध प्राधिकरण को तुरन्त उस अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् संबद्ध प्राधिकरण को, यदि आवश्यक हो, दुर्घटना से संबंधित एक रिपोर्ट अनुसूची 6 में किस्तों में देगा।

(2) संबद्ध प्राधिकरण उस नियम के उपनियम 1 के अनुसरण में रिपोर्ट की प्राप्ति पर, व्यापक दुर्घटना का पूर्ण विश्लेषण करेगा और समुचित माध्यम के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपेक्षित जानकारी भेजेगा।

(3) जहां अधिष्ठता ने संबंधित विधान के अधीन संबद्ध प्राधिकरण को कोई व्यापक दुर्घटना अधिसूचित कर दी है, वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस नियम के उपनियम 1 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

6 औद्योगिक क्रियाकलाप जिनको नियम 7 से नियम 15 लागू होते हैं।

(1) नियम 7 से नियम 15 निम्नलिखित को लागू होंगे,—

(क) कोई ऐसा औद्योगिक क्रियाकलाप जिसमें अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय रसायन की कोई

ऐसी मात्रा अन्तर्वलित है, जो स्तम्भ 3 और 4 में केवल नियम 10 से 12 स्तंभ 4 के लिए उस रसायन के लिए प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, और

(ब) एकल भंडारण जिसमें अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय रसायन की कोई ऐसी मात्रा अन्तर्वलित है जो स्तम्भ 4 में उस रसायन के लिए प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मात्रा के बराबर या उससे अधिक है।

(1) नियम 7 से नियम 15 के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "नया औद्योगिक क्रियाकलाप" से ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो :—

(i) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् प्रारम्भ होता है ; या

(ii) यदि उस तारीख के पूर्व प्रारम्भ होता है, तो ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप है जिसमें ऐसा कोई उपांतर किया गया है जिससे व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा होने की संभावना है, और वह क्रियाकलाप उस तारीख को जिसको उपांतरण किया गया था, प्रारम्भ किया गया माना जाएगा।

(ख) "विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप" से ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो एक नया औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं है।

7. स्थलों की अधिसूचना :—(1) अधिष्ठाता कोई औद्योगिक क्रियाकलाप तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि उसने उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के कम से कम 3 मास पूर्व या ऐसे संक्षिप्त समय के पूर्व जिसके लिए संबंधित प्राधिकरण सहमत हो, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को अन्तर्वलित करने वाली एक लिखित रिपोर्ट संबद्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत न कर दी हो और इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे क्रियाकलाप को जिसमें तत्पश्चात् किसी अतिरिक्त परिसंकटमय रसायन की बेहली मात्रा या उससे अधिक है या हो सकती है, भिन्न क्रियाकलाप माना जाएगा और वह तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(2) यदि कोई अधिष्ठाता विनियम 10(1) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा उपनियम (1) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. बेहली मात्रा में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचना का अद्यतन बनाना :—जहां नियम 7(1) के अनुसार किसी क्रियाकलाप के बारे में कोई रिपोर्ट दी गई है और अधिष्ठाता उसमें कोई परिवर्तन करता है (जिसके अन्तर्गत किसी परिसंकटमय रसायन की जिस पर यह नियम लागू होता है, अधिकतम बेहली मात्रा में वृद्धि या किसी भी है जो स्थल पर या पाइप लाइन में या क्रियाकलाप के समाप्त होने पर है या हो सकती है) जो उस रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों या इस नियम के अधीन की गई किसी पश्चात्वर्ती रिपोर्ट को प्रभावित करती है। अधिष्ठाता सम्बद्ध प्राधिकरण को तुरन्त एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. संक्रमणकालीन उपबन्ध-जहां :—

(क) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को अधिष्ठाता का किसी ऐसे विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है जिसकी नियम 7(1) के अधीन रिपोर्ट की जानी अपेक्षित है, या

(ख) उस तारीख के छह मास के भीतर अधिष्ठाता ऐसे किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप को प्रारम्भ करता है,

वहां उस नियम का वह पर्याप्त अनुपालन होगा यदि वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् 3 मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकरण लिखित रूप में सहमत हो, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्टियों के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

10. सुरक्षा रिपोर्ट :—(1) इस नियम के निम्नलिखित पैराओं के अधीन रहते हुए अधिष्ठाता किसी ऐसे औद्योगिक क्रियाकलाप को जिस पर यह नियम लागू होता है, तब तक नहीं चलाएगा जब तक उसने अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट जानकारी अन्तर्विष्ट करने वाली उस औद्योगिक क्रियाकलाप पर एक सुरक्षा रिपोर्ट तैयार न कर दी हो और उस रिपोर्ट की एक प्रति उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के कम से कम 90 दिन पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को न भेज दी हो।

(2) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में जिसे अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् 6 मास के भीतर प्रारम्भ करता है है या नियम 6 के उपनियम (2) (क) (ii) के आधार पर प्रारम्भ किया हुए माना जाता है, तो इस नियमों के उपनियम (1) का वह पर्याप्त अनुपालन होगा यदि अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् 90 दिन के भीतर उस उपनियम के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट की एक प्रति सम्बद्ध प्राधिकरण को भेज देता है।

(3) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 5 वर्ष के पश्चात् तक यह इस नियम के उपनियम (1) का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 90 दिन को या उसके पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को उस क्रियाकलाप से संबंधित अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट जानकारी भेज देता है।

11. नियम 10 के अधीन रिपोर्टों का अद्यतन बनाना :—(1) जहां अधिष्ठाता ने नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार कोई सुरक्षा रिपोर्ट दी है वहां वह उस औद्योगिक क्रियाकलाप में जिससे वह सुरक्षा रिपोर्ट संबंधित है, कोई ऐसे उपांतरण नहीं करेगा जिनसे उस रिपोर्ट में विशिष्टियों पर तात्विक रूप से प्रभाव पड़ सके जब तक कि उसने इन उपांतरणों पर विचार करने के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट न दी हो और उस रिपोर्ट की एक प्रति इन उपांतरणों के करने के कम से कम 90 दिन पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को न भेज दी हो।

(2) जहां अधिष्ठाता ने नियम 10 और इस नियम के उपनियम (1) के अनुसार कोई रिपोर्ट की है और वह औद्योगिक क्रियाकलाप चालू बना हुआ है वहां अधिष्ठाता ऐसी अन्तिम रिपोर्ट की तारीख के 3 वर्ष के भीतर एक और रिपोर्ट करेगा जिसमें विशिष्ट रूप से ऐसे नए तकनीकी ज्ञान का ध्यान रखा जाएगा जिससे सुरक्षा और परिसंकट निर्धारण से संबंधित पूर्व रिपोर्ट में विशिष्टियों को प्रभावित किया है, और 30 दिन के भीतर या ऐसे दीर्घतर समय में जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकरण लिखित रूप में सहमत हो, रिपोर्ट की एक प्रति सम्बद्ध प्राधिकरण को भेजेगा।

12. प्राधिकरण को भेजी जाने वाली और जानकारी के लिए अपेक्षाएं :—(1) जहां, नियम 10 के अनुसार, अधिष्ठाता ने औद्योगिक क्रियाकलाप से संबंधित सुरक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध प्राधिकरण को भेज दी है, वहां सम्बद्ध प्राधिकरण अधिष्ठाता पर तामील की गई सूचना द्वारा उससे ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो और अधिष्ठाता ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट है या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकरण तत्पश्चात् विनिर्दिष्ट करे, सम्बद्ध प्राधिकरण को वह जानकारी भेजेगा।

13. अधिष्ठाता द्वारा स्थल पर आपात योजना का तैयार किया जाना :—(1) अधिष्ठाता स्थल पर आपात योजना तैयार करेगा और उसे अद्यतन बनाए रखेगा जिसमें यह विवरण होगा कि उस स्थल पर

जिस पर औद्योगिक क्रियाकलाप चलाया जा रहा है, व्यापक दुर्घटनाओं से किस प्रकार निपटा जाएगा और उस योजना के अन्तर्गत उस व्यक्ति का नाम जो स्थल पर सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है और उन व्यक्तियों के नाम भी होंगे जो आपात की दशा में योजना के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1) के अनुसार तैयार की गई आपात योजना में औद्योगिक क्रियाकलाप में किए गए किसी उपांतरण पर भी विचार किया गया है और यह कि स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को जो योजना से प्रभावित होता है, सुसंगत उपबन्धों की जानकारी दी जाती है।

(3) अधिष्ठाता उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित आपात योजना

(क) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ख) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उन नियमों के प्रवृत्त होने के 90 दिन के भीतर,

तैयार करेगा।

14. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थल से दूर आपात योजना का तैयार किया जाना :—(1) संबद्ध प्राधिकरण का जैसा अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में अभिज्ञात है, यह कर्तव्य होगा कि वह समुचित स्थल से दूर आपात योजना तैयार करे और उसे अद्यतन बनाए रखे जिसमें उस स्थल पर किसी संभाविव्य व्यापक दुर्घटना से संबंधित आपात स्थितियों से किस प्रकार निपटा जाएगा, के ब्यौरे होंगे और उस योजना को तैयार करने में सम्बद्ध प्राधिकरण अधिष्ठाता और ऐसे अन्य व्यक्तियों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित आपात योजना तैयार करने के लिए संबद्ध प्राधिकरण को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता अपने नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्रियाकलाप से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी संबद्ध प्राधिकरण अपेक्षा करे जिसके अन्तर्गत संभावित व्यापक दुर्घटनाओं की प्रकृति, सीमा और उसके संभाव्य स्थल से दूर प्रभाव भी हैं और प्राधिकरण स्थल से दूर आपात योजना से जो नियम 10 के अधीन उसके कर्तव्यों से संबंधित है, अधिष्ठाता को हर प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा।

(3) संबद्ध प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित अपनी आपात योजना :—

(क) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ख) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में, इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह मास के भीतर,

तैयार करेगा।

15. किसी व्यापक दुर्घटना से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली जानकारी :—(1) अधिष्ठाता स्थल के बाहर व्यक्तियों को जिनका ऐसे किसी क्षेत्र में होना संभाव्य है जो किसी व्यापक दुर्घटना से प्रभावित हो सकते हैं, प्रत्यक्षतः या जिला आपात प्राधिकरण के माध्यम से निम्नलिखित के बारे में जानकारी देने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा :—

(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकट की प्रकृति, और

(ख) सुरक्षा उपाय और "क्या करें" और "क्या न करें" जिन्हें किसी व्यापक दुर्घटना की दशा में पालन किया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता किसी औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व उस क्रियाकलाप के बारे में विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के किसी मामले को छोड़कर जिस मामले में अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने के 90 दिन के भीतर उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित कार्यवाहियां करेगा।

16. जानकारी का प्रकट किया जाना :—(1) जहां नियम 5 या 7 से 15 के अधीन अधिसूचित जानकारी का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध प्राधिकरण उस जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है वहां वह अन्य व्यक्ति उस जानकारी का उपयोग उसे प्रकट करने वाले संबद्ध प्राधिकरण के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा और जानकारी प्रकट करने के पूर्व संबद्ध प्राधिकरण इस पैरा के अधीन अपनी बाध्यता के बारे में उस अन्य व्यक्ति को जानकारी देगा।

17. जानकारी का संग्रहण, विकास और प्रसारण :—(1) यह नियम किसी ऐसे औद्योगिक क्रियाकलाप को लागू होगा जिसमें ऐसा परिसंकटमय रसायन जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकथित किसी मानदण्ड की तुष्टि करता है और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है, अन्तर्वलित है या अन्तर्वलित हो सकता है।

(2) अधिष्ठाता जिसका इस नियम के उपनियम 1 के आधार पर किसी औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा आंकड़ा शीट के प्रारूप में जानकारी प्राप्त करेगा या उसका विकास करेगा। जानकारी अनुरोध पर निर्देश के लिए सुलभ होगी।

(3) अधिष्ठाता अपने द्वारा हवाले गए किसी परिसंकटमय रसायन की बाबत अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट किसी सुरक्षा आंकड़ा शीट को प्राप्त करने या उसका विकास करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जानकारी सही ढंग से अभिलिखित की गई और परिसंकट का अवधारण करते समय प्रयुक्त वैज्ञानिक साक्ष्य परिलक्षित करेगा। यदि किसी रसायन के परिसंकट की बाबत कोई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है तो वह यथासंभव शीघ्र अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट तात्विक सुरक्षा आंकड़े शीट में जोड़ी जाएगी।

(4) परिसंकटमय रसायन के प्रत्येक आधान पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाया जाएगा या उसे निम्नलिखित को पहचान करने के लिए चिह्नित किया जाएगा :—

(क) आधान की अन्तर्वस्तु ;

(ख) परिसंकटमय रसायन के विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और पता;

(ग) मानदंड के अनुसार भौतिक, रासायनिक और विषालुता संबंधी आंकड़े; और

(5) इस नियम के उपनियम 4 के आधार पर जहां आधान के आकार या पैकेज की प्रकृति की दृष्टि से किसी रसायन पर लेबल लगाना व्यावहारिक नहीं है, वहां दस्तावेजों को बांधने या जोड़ने जैसे अन्य प्रभावित साधनों के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए।

18. परिसंकटमय रसायनों का आयात :—(1) यह नियम किसी ऐसे रसायन को लागू होगा जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकथित किसी मानदंड की तुष्टि करता है और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है।

(2) भारत में परिसंकटमय रसायनों का आयात करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में यथा अभिज्ञात संबद्ध प्राधिकरण को आयात के समय या आयात की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित से संबंधित जानकारी देगा :—

(i) भारत में परेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता;

(ii) भारत में प्रवेश पत्तन;

(iii) भारत में निर्यात करने वाले देश से परिवहन का ढंग;

(iv) आयात किए जा रहे रसायन (नों) की मात्रा; और

(v) सुरक्षा जानकारी पूर्ण रूप से दिया जाना।

(3) यदि राज्य में संबद्ध प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आयात किए जा रहे रसायन के व्यापक दुर्घटना होने की संभावना है तो वह ऐसी कार्यवाही जिसके अन्तर्गत ऐसे आयातों का रोका जाना है, जो राज्य का संबद्ध प्राधिकरण समुचित समझे करने के लिए आयातकर्ता को निदेश दे सकेगा।

(4) राज्य में संबद्ध प्राधिकरण साथ-साथ पत्तन परिसरों के भीतर परिपण को उतारते समय परिसंकटमय रसायनों के सुरक्षापूर्वक उठाने-धरने और भंडारकरण की बाबत समुचित कार्यवाहियां करने के लिए सम्बद्ध पत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(5) परिसंकटमय रसायनों का आयात करने वाला कोई व्यक्ति अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट आयातित परिसंकटमय रसायनों का अभिलेख बनाए रखेगा और इस प्रकार बनाए रखा गया अभिलेख राज्य में संबद्ध प्राधिकरण या पर्यावरण और वन मंत्रालय या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(6) परिसंकटमय रसायन का आयातकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश पत्तन से अन्तिम गंतव्य स्थान तक परिसंकटमय रसायनों का परिवहन मोटरयान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार है।

19. सुधार सूचना :—(1) यदि संबद्ध प्राधिकरण की यह राय है कि किसी व्यक्ति ने इस नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो संबद्ध प्राधिकरण उस पर एक सूचना की (जिसे इस भाग में "सुधार सूचना" कहा गया है) तामील करेगा जिसमें उस व्यक्ति से ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति उल्लंघन या उसे अवसर देने वाली बातों का उपचार करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना में स्पष्ट रूप से उन उपायों का विनिर्देश किया जाएगा जो उक्त उल्लंघनों का उपचार करने में अधिष्ठाता द्वारा किए जाएंगे।

20. अनुसूचियों को उपांतरित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :— केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में समुचित परिवर्तन कर सकेगी।

अनुसूची 1

[नियम 2 (क) (i), 4(1)(क), 4(2)(i), 17 और 18 देखिए]

रसायनों का निर्देशात्मक मानदंड और उनकी सूची

भाग 1

(क) विषैले रसायन :—रसायन जिनकी गंभीर विषालुता का निम्नलिखित भान है और जो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा करने के लिए सक्षम हैं।

क्रम सं.	विषालुता की मात्रा	मुखीय मार्ग द्वारा मध्यम घातक डोज (मुखीय विषालुता) एलडी 50 (परीक्षण पशुओं का कि० ग्रा० शारीरिक वजन।	चर्मीय मार्ग द्वारा मध्यम घातक डोज (चर्मीय विषालता) एलडी 50 (परीक्षण पशुओं का मि. ग्रा०/कि०ग्रा० शारीरिक वजन	अंत : श्वसन मार्ग द्वारा मध्यम घातक सांद्रता (चार घंटे) एलसी 50 परीक्षण पशुओं में मिली. ग्राम/अंत श्वसन।)
1.	अत्यंत विषैला	1-50	1-200	0.1-05
2.	उच्च विषैला	51-500	201-2000	0.5-2.0

(ख) ज्वलनशील रसायन :

(i) ज्वलनशील गैस :—रसायन जो सामान्य दाब पर गैसीय दशा में और वायु के साथ मिश्रित किए जाने पर ज्वलनशील हो जाते हैं और जिनका सामान्य दाब पर क्वथनांक 20 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे कम है;

(ii) उच्च ज्वलनशील द्रव :—रसायन जिनका 23 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम प्रज्वलन ताप है और जिनका क्वथनांक सामान्य दाब पर 20 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक है;

(iii) ज्वलनशील द्रव :—रसायन जिनका प्रज्वलन ताप 65 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम है और जो दाब के अधीन वहां द्रव बने रहते हैं जहां विशिष्ट प्रसंस्करण दशाएं जैसे उच्च दाब और उच्च तापमान व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा कर सकती हैं।

(ग) विस्फोटक :—रसायन जिनका ज्वाला, ऊष्मा या फोटो-रसायन सम्बन्धी दशाओं के प्रभाव से विस्फोट हो सकता है या जो डाइनाइट्रो-बेन्जीन की तुलना में प्रघात या घर्षण के लिए अधिक सुग्राही हैं।

भाग- 2

खतरनाक और विषैले रसायनों की सूची

क्रम संख्या	रसायन का नाम
1	2
1.	एसीटोन
2.	एसीटोन साइनोहाइड्राइन
3.	एसीटिल क्लोराइड
4.	एसीटीलेन (इथीन)
5.	एक्रोलीन (2-प्रोपीनल)
6.	एक्राइलोनाइट्राइल
7.	आल्डीकार्ब
8.	आलड्रिन
9.	अलकाइल थेलेट
10.	अलाइल एल्कोहल
11.	एलीलअमाइन
12.	अल्फा नेपथाइल थीयोयूरिया (अंटु)
13.	अमीनोडाइफिनाइल,-4
14.	अमीनोफीनोल,-2
15.	अमीटोन
16.	अमोनिया
17.	अमोनियम नाइट्रेट्स
18.	अमोनियम नाइट्रेट्स (इन फर्टिलाइजर)
19.	अमोनियम सलफामेट
20.	एनाबासाइन
21.	अनीलाइन
22.	एनीसाइडाइनअपी
23.	एंटीमोनी एंड कम्पाउण्डस
24	एंटीमोनी हाइड्राइड (सटाइबाइन),
25.	आरसेनिक हाइड्राइड (आरसाइन)
26.	आरसेनिक पेनटॉक्साइड, आरसेनिक (5) एसिड एंड साल्टस
27.	आरसेनिक ट्राइआक्साइड, आरसेनियस (3) एसिडस एंड साल्टस
28.	एसबेसटोस
29.	एजीनफोस इथाइल
30.	एजॉनफोस मिथाइल
31.	बेरियम एसाईड
32.	बेंजोन

1	2
33.	बेनजीडाइन
34.	बेनजीडाइन साल्टस
35.	बेनजोक्विनोन
36.	बेनजोइल क्लोराइड
37.	बेनजोइल पेरोक्साइड
38.	बेनजिल क्लोराइड
39.	बेनजिल साइनाइड
40.	बेरीलियम (पाउडरस कम्पाउण्डस)
41.	फिनाइल
42.	बिस (2-क्लोरोमिथाइल) कीटोन
43.	बिस (2, 4, 6, "ट्राइनाइट्रोफिनाइल) एमीन
44.	बिस (2-क्लोरोइथाइल) सल्फाइड
45.	बिस (क्लोरोमिथाइल) ईथर
46	बिस (टर्ट-बुटिलपेरोक्सी) बुटेन, 2, 2
47.	बिस (बेटिनाफ्थोक्सी) साइक्लोहेक्सेन, 1-1
48.	बिस, 1, 2, (ट्राइब्रोमोफिनोक्सी) इथेन
49.	बिसफिनोल
50.	बोरोन तथा कम्पाउण्डस
51.	ब्रोमाइन
52.	ब्रोमाइन पेंटाफ्लोराइड
53.	ब्रोमोफोरम
54.	बुटाडाइन-1, 3
55.	बुटेन
56.	बुटेनइथाल
57.	बुटानोन-2
58.	बुटोक्सी इथानोल
59.	बुटिल ग्लीसीडाल ईथर
60.	बुटिल पेरोक्सीएसीटेट, -टर्ट
61.	बुटिल पेरोक्सीसोबुटिरेट, -टर्ट
62.	बुटिल पेरोक्सी आइसो प्रोपाइल कार्बोनेट, टर्ट
63.	बुटिल पेरोक्सीमेलिएट, टर्ट
64.	बुटिल पेरोक्सीपिवालेट, -टर्ट
65.	बुटिल विनाइल ईथर
66.	बुटिल-एन-मरकॉपटन
67.	बुटिलऐमीन
68.	सी-9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्रेक्शन
69.	काडमियम एंड कम्पाउण्डस
70.	काडमियम आक्साइय (फ्यूमस);
71.	कैल्शियम साइनाइट
72.	कैप्टान
73.	कैप्टोफोल
74.	कार्बारियल (सेविन)
75.	कार्बोफ्यूरान
76.	कार्बन डिसल्फाइड
77.	कार्बन मोनोआक्साइड
78	कार्बन टेट्राक्लोराइड
79.	कार्बोफिनोथियोन
80	सेल्यूलोज नाइट्रेट
81.	क्लोरडेन (किसानों में प्रयोग)
82.	क्लोरडेन
83.	क्लोरफेनविनफोस
84.	क्लोरीनेटेड बेंजीनस
85.	क्लोरीन
86.	क्लोरीन डी आक्साइड
87	क्लोरीन आक्साइड

1	2
88.	क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड
89.	क्लोरमक्वेट क्लोराइड
90.	क्लोरोएसीटिल क्लोराइड
91.	क्लोरोएसीटिल डी हाइड
92.	क्लोरोएनीलाइन,-2
93.	क्लोरोएनीलाइन-4
94.	क्लोरोबेंजीन
95.	क्लोरोडीफीनाइल
96.	क्लोरोएपोक्सीप्रोपेन
97.	क्लोरोइथेनोल
98.	क्लोरोइथाइल क्लोरोफार्मेट
99.	क्लोरोफ्लूरोकार्बनस
100.	क्लोरोफार्म
101.	क्लोरोफोरमाइल-4, मोर्फोलाइन
102.	क्लोरोमिथेन
103.	क्लोरोमिथाइल ईथर
104.	क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर
105.	क्लोरोनिट्रोबेंजीन
106.	क्लोरोप्रीन
107.	क्लोरोसल्फ़ोनिक एसिड
108.	क्लोरोट्रिनिट्रोबेंजीन
109.	क्लोरोएक्सयूरोन
110.	क्रोमियम एंड कम्पाउण्डस
111.	कोबाल्ट एंड कम्पाउण्डस
112.	कोपर एंड कम्पाउण्डस
113.	कोमाफ़्यूरस
114.	कोमाफ़ोस
115.	कोमाटेट्रान
116.	क्रीसोल्स
117.	क्रिमिडाइन
118.	क्यूमेन
119.	साइनोफ़ोस
120.	साइनोथीएट
121.	साइनोरिक फ्लोराइड
122.	साइक्लोहेक्सेन
123.	साइक्लोहेक्सानोल
124.	साइक्लोहेक्सानोन
125.	साइक्लोहेक्सीमाइड
126.	साइक्लोपेंटाडाइन
127.	साइक्लोपेंटेन
128.	साइक्लोटिट्रामिथाइलेन्टेट्रानाइट्रामाइन
129.	साइक्लोट्रिमिथाइलेन ट्रिनिट्रामाइन
130.	डी डी टी
131.	डेकाब्रोमोडीफ़िनाइल आक्साइड
132.	डेमीटोन
133.	डी-आइसोबुटिल पेरोक्साइड
134.	डी-एन-प्रोपिल पेरोक्सीडीकार्बोनेट
135.	डी-सेक-बुटिल पेरोक्सीडीकार्बोनेट
136.	डायलीफ़ोस
137.	डायाज़ोडीनिट्रोफ़िनोल
138.	डायज़ोमिथेन
139.	डाइबेंजायल पेरोक्सीडीकार्बोनेट
140.	डीक्लोरो एसीटिलीन
141.	डीक्लोरोबेंजीन-ओ,
142.	डीक्लोरोबेंजीन-पी
143.	डीक्लोरोइथेन

Indiacode

1	2
144.	डीक्लोरोईथाइल ईथर
145.	डीक्लोरोफ़िनोल,—2, 4
146.	डीक्लोरोफ़िनोल,—2, 6
147.	डीक्लोरोफ़िनोक्सी एसिटीक एसिड,—2, 4 (2, 4 डी)
148.	डीक्लोरोप्रोपेन, 1-2
149.	डीक्लोरोसेलीमिसिक एसिड, 3-5
150.	डीक्लोरवोस (डी.डी.वी.पी.)
151.	डीक्रोटोफोए
152.	डीएलड्रीन
153.	डीएपीक्सीब्यूटेन
154.	डीइथाइल पेरीक्सीडीकार्बोमेट
155.	डीइथाइलेन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट
156.	डीइथाइलेन ट्राइएमाइन
157.	डीइथाइलेनग्लाइकोल बुटिल ईथर/डीइथाइलेनग्लाइकोल बुटिल एसीटेट
158.	डीइथाइलेनट्राइएमाइन (डी ई टी ए)
159.	डीग्लाइसेडेल ईथर
160.	डीहाइड्रोरोक्सीप्रोपेन,—2, 2
161.	डी आइसीब्यूटिरिल पेरोक्साइड
162.	डीमेफ़ोक्स
163.	डीमेथोएट
164.	डीमिथाइल फ़ोसफ़ोरामिडोसाइमीडिक एसिड
165.	डीमिथाइल थेलेट
166.	डीमिथाइलकार्बोमाइल क्लोराइड
167.	डीमिथाइलनिट्रोसेमाइन
168.	डीनाइट्रोफ़िनोल, साल्टस
169.	डीनाइट्रोटोलियूईन
170.	डीनाइट्रो-ओ-क्रिसोल
171.	डीओक्सेन
172.	डीओक्साथियोन
173.	डीओक्सोलेन
174.	डीफ़ामाइनोन
175.	डीफ़ोसफ़ोरएमाइड थायोमिथाइल
176.	डीप्रोपीलीन ग्लाइकोमिथाइल ईथर
177.	डीसल्फ़ोटोस
178.	एन्डोसल्फ़ान
179.	एन्ड्रीन
180.	एपीक्लोरोहाइड्राइन
181.	इपीमन
182.	अपेक्सीप्रोपेन, 1, 2
183.	इथीओन
184.	इथाइल कार्बमेट
185.	इथाइल ईथर
186.	इथाइलहेक्सानोल-2
187.	इथाइल मरकेपटन
188.	इथाइल मेथएक्राइलेट
189.	इथाइल.नाइट्रेट
190.	इथाइलएमाइन
191.	इथाइलेन
192.	इथाइलेन क्लोरोहाइड्राइन
193.	इथाइलेन डीएमाइन
194.	इथाइलेन डीब्रोमाइड (1, 2—डीब्रोमोइथेन)
195.	इथीलेम डीक्लोराइड
196.	इथाइलेम ग्लाइकोल डिनाइट्रेट
197.	इथाइलेन आक्साइड

1	2
198.	इथाइलेनइमाइन
199.	इथाइलथिओ मार्बनेट
200.	फ़ेनलफ़ोथियोन
201.	फ़ेलूएनटिल
202.	फ़्लोरो,—4,-2 हाइड्रोक्सीबुटिरिक एसिड एंड साल्टस, एस्टरस, एमाइडस
203.	फ़्लोरोएसिटिक एसिड एंड साल्टस, एस्टरस एमाइडस
204.	फ़्लोरोबुटिरिक एसिड-4, एंड साल्टस, एस्टरस एमाइडस
205.	फ़्लोरोप्रोटोनिक एसिड-4, एंड साल्टस, एस्टरस, एमाइडस
206.	फ़ोर्मलिडिहाइड
207.	ग्लाइट्रोनिट्राइल (हाइड्रोसीएमीटोनीट्राइल)
208.	ग्लूग्रानाइल, 1,—4—नाइट्रोमिनोग्लूग्रानाइल-1-टेट्राज़ेन
209.	हेपटाक्लोर
210.	हेक्साक्लोरो साइक्लोपेंटाडाइन
211.	हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेम
212.	हेक्साक्लोरो साइक्लोमिथेन
213.	हेक्साक्लोरोडिबेंजो-पी-डीओक्साइन,—1, 2, 3, 7, 8, 9,
214.	हेक्साफ़्लूरोप्रोपेन
215.	हेक्सामिथाइलफ़ोसफ़ोएमाइड
216.	हेक्सामिथाइल,—3, 3, 6, 6, 9, 9,—1, 2, 4, 5—टेट्रोक्सासाइक्लोनोनेन
217.	हेक्सामिथाइलीनडीएमाइन
218.	हेक्सेन
219.	हेक्सानीट्रोडाइफ़ेनिलेमीन,—2, 2, 1, 1, 6, 6
220.	हेक्साक्लेंट क्रोमियम
221.	हाइड्राजाइन
222.	हाइड्राजाइन नाइट्रेट
223.	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
224.	हाइड्रोजन
225.	हाइड्रोजन सोलाइड (हाइड्रोआयोडिक एसिड)
226.	हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड)
227.	हाइड्रोजन साइनाइड
228.	हाइड्रोजन फ़्लोराइड
229.	हाइड्रोजन सेलीनाइड
230.	हाइड्रोजन सल्फ़ाइड
231.	हाइड्रोक्वीनोन
232.	आयोडीन
233.	आइसोबेंजान
234.	आइसोड्रीन
235	आइसोफ़ोरोन डीआइसोसाइनेट
236.	आइसोप्रोपिल ईथर
237.	आयसोन (5—हाइड्रोक्सीनाफ़ाथालेन—1, 4 डायोन)
238.	लीड (इनआर्गेनिक फ़्यूमस एंड डस्टस)
239.	लीड 2, 4, 6—ट्रीनिटोरेसोरस्किनोक्साइड (लीड सटाइफ़ेनेट)
240.	लीड एजाइड
241.	लेपटोफ़ोस
242.	लिंडेन
243.	लरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)
244.	मेलिक एनहाइड्राइड
245.	मैंगनीज एंड कम्पाउण्डस
246.	मेर्कापटो बेंजोथियाज़ोल
247.	मरकरी अलकाइल
248.	मरकरी फ़ेनमीनेट
249.	मरकरी मिथेल
250.	मेथाक्राइलिक एनाहाइड्राइड
251.	मेथाक्राइलोनट्राइल
252.	मेथाक्राइलोइल क्लोराइड

1	2
253.	मेथामिडोफ़ोस
254	मिथेन सलफ़ोनेल फ़लोराइड
255.	मिथेनथायोल
256.	मेथोक्सी इथानोल (2–मिथाइल सेलोनोलब)
257.	मिथोक्सी इथाइलमरक्यूरिक एसीटेट
258.	मिथाइल अक्रायलेट
259.	मिथाइल अल्कोहल
260.	मिथाइल एमायलकेटोन
261.	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमेमिथेन)
262.	मिथाइल क्लोराइड
263.	मिथाइल क्लोरोफ़ार्म
264.	मिथाइल क्लोरोहेक्सेन
265.	मिथाइल इथाइल केटोन पेरोक्साइड
266.	मिथाइल हाइड्राजाइन
267.	मिथाइल आइसोबूटिल केटोन
268.	मिथाइल आइसोबुटिल केटोन पेरोक्साइड
269.	मिथाइल आइसोसाइनेट
270.	मिथाइल आइसोथियोसाइनेट
271.	मिथाइल मेरकेपटेन
272.	मिथाइल मेथाक्राइलेट
273.	मिथाइल पाराथियोन
274.	मिथाइल फ़ोसफ़ोनिक डीक्लोराइड
275.	मिथाइल–एन, 2, 4, 6,–टेट्रानिट्रोएनीलिन
276.	मिथाइलेनक्लोराइड
277.	मिथाइलेनबिस–4, 4, (2–क्लोरोलाइन)
278.	मिथाइलट्रिक्लोरोसिलेन
279.	मेविनफ़ोस
280.	मोलीबडेनम एंड कम्पाउण्डस
281.	एन–मिथाइल–एन, 2, 4, 6,–एन–टेट्रानिट्रोएनीलिन
282.	नेपथा (कोल तार)
283.	नेपथाइलएमाइन–2
284.	निकल एंड कम्पाउण्डस
285.	निकल टेट्राकार्बोनाइल
286.	नाइट्रोएनीलिन–ओ
287.	नाइट्रोएनीलिन–पी
288.	नाइट्रोबेंजीन
289.	नाइट्रोक्लोरोबेंजीन–पी
290.	नाइट्रोसाइकलोहेक्सेन
291.	नाइट्रोइथेन
292.	नाइट्रोजन डीआक्साइड
293.	नाइट्रोजन आक्साइड
294.	नाइट्रोजन ट्रिफ़्लोराइड
295.	नाइट्रोग्लीसरिन
296.	नाइट्रोफ़िनोल–पी
297.	नाइट्रोप्रोपेन–1
298	नाइट्रोप्रोपेन–2
299.	नाइट्रोसोडीमिथाइलएमाइन
300.	नाइट्रोटोलियोस
301.	आक्टाब्रोमोफ़िनायल आक्साइड
302.	ओलियम
303.	ओलियलएमाइन
304.	ओ ओ–डिइथाइल एस–एथाइलसलफ़ीनीलमिथाइल फ़ोसफ़ोरोथियोऐट
305.	ओ ओ–डिइथाइल एस–इथाइलसलफ़ोनीलमिथाइल फ़ोसफ़ोरोथियोऐट
306.	ओ ओ–डिइथाइल एस–इथाइलथियोमिथाइल फ़ोसफ़ोरोथियोऐट
307.	ओ ओ–डिइथाइल एस–आइसोप्रोपाइलथियोमिथाइल फ़ोसफ़ोरोडिथियोऐट
308.	ओ ओ–डिइथाइल एस–प्रोपायलथियोमिथाइल फ़ोसफ़ोरोडिथियोऐट
309.	आक्सामाइल
310.	आक्सीडोसलफ़ोटोन
311.	आक्सीजन (तरल)
312.	आक्सीजन डीफ़्लोराइड
313.	ओज़ोन
314.	पारोक्सोन (डिइथाइल–4–नाइट्रोफ़िनाइल फ़ास्फ़ेट)
315.	पाराक्वेट
316.	पाराथियोन
317.	पाराथियोनमिथाइल
318.	पैरिस ग्रीन [बिस (ऐसीटो) (क्सायेटा आर्सीनीटो टेट्रा–कॉपर)
319.	पेनटाबोरेन
320.	पेंटाब्रोमोडीफ़िनाइल आक्साइड
321.	पेनटाब्रोमोफ़िनोल
322.	पेनटाक्लोरो नेफ़थालीन
323.	पेनटाक्लोरोइथेन
324.	पेनटाक्लोरोफ़िनोल
325.	पेनटाइरीथिटोल टैट्रानिट्रेट
326.	पेनटेन
327.	परएसीटिक एसिड
328.	परक्लोरोइथाइलीन
329.	परक्लोरोमिथाइल मरकेपटन
330.	पेंटानोन, 2, 4,–मिथाइल
331.	फ़िनोल
332.	फ़िनाइल गलाइसीडल ईथर
333.	फ़िनाइलीन पी–डीएमाइन
334.	फ़िनाइलमरकरी एसीटेट
335.	फ़ौरेट
336.	फोसएसीटिम
337.	फोसालेन
338.	फोसफोलन
339.	फोसजीन (कार बोनाइल क्लोराइड)
340.	फोसमेट
341.	फोसफामीडोन
342.	फोसफाइन (हाइड्रोजन फोसफाइड)
343.	फास्फोरिक एसिड एंड एस्टरस
344.	फास्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2,–डिमिथाइलप्रोपाइल) ब्रोमेइथाइल एस्टर
345.	फोस्फोरिक एसिड ब्रोमोईथाइल ब्रोमो (2, 2,–डिमिथाइलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
346.	फास्फोरिक एसिड, क्लोरोइथाइल ब्रोमो (2, 2–डिमेथोक्सीलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइलएस्टर
347.	फास्फोरस एंड कम्पाउण्डस
348.	फोसतलान
349.	पिकरिक एसिड (2, 4, 6–ट्रिनिट्रोफिनोल)
350.	पोलीब्रोमिनेटिड बिफिनाइल्स
351.	पोटासियम अरसीनाइट
352.	पोटासियम क्लोरेट
353.	प्रोमुरित (1०) 3, 4–डिक्लोरोफिनाइल (3–ट्रिऐजेनथीयोकार्बोक्स एमाइड)
354.	प्रोपेमसुलटोन–1, 3
355.	प्रोपेन,–1, 2–क्लोरो–1, 3–डायोल–डीएसीटेट
356.	प्रोपीलेन डिक्लोराइड
357.	प्रोपीलेन आक्साइड
358.	प्रोपीलेनइमाइन
359.	पाराजोक्सोन

360. सेलिनियम हेक्साफ्लूराइड
361. सेमिकार्बाजाइड हाइड्रोक्लोराइड
362. सोडियम आरसीनाइट
363. सोडियम एजाइड
364. सोडियम क्लोरेट
365. सोडियम साइनाइड
366. सोडियम पिकरामेट
367. सोडियम सेलीनाइट
368. स्टीरीन 1, 1, 1, 2, 2–टेट्राक्लोरोइथेन
369. सल्फोटेप
370. सल्फर डिक्लोराइड
371. सल्फर डिआक्साइड
372. सल्फर ट्रिआक्साइड
373. सल्फ्यूरिक एसिड
374. सल्फोनसाइड, 3–क्लोरोप्रोपाइलोक्टाइल
375. टेलूरियम
376. टेलूरियम हेक्साफ्लोराइड
377. टेप
378. टर्बुफोस
379. टेट्राब्रोमोबिसफिनोल-ए
380. टेट्राक्लोरो,–2, 2, 5, 6, 2, 5–साइकलोहेक्साडाइन-1, 4–डायोन
381. टेट्राक्लोरोडी बैंजो-पी-डायोक्सीन-2, 3, 7, 8 (टी.सी.डी.डी.)
382. टेट्राइथाइल लेड
383. टैट्राफ्लूरोइथेन
384. टेट्रामिथाइलडीसलफोटेट्रामाइन
385. टेट्रामिथाइलन ब्रेड
386. टेट्रानिट्रोमिथेन
387. थालियम एंड कम्पाउण्डस
388. थियोनाजीन
389. थियोनेल क्लोराइड
390. ट्रिपेट
391. टोलूइन
392. टोलूइन 2–4–डीआइसोसाइनेट
393. टोलूइडाइन-ओ
394. टोलून 2, 6–डीआइसोसाइनेट
395. ट्राम-1, 4–क्लोरोबुटीन
396. ट्रि-1, (साइकलोहेप्सेन) स्टानाइल–1–एम-1, 2, 4,–ट्राओल
397. ट्रिएमिनो–1, 3, 5,–2, 4, 6, ट्रिनिट्रोबेंजीन
398. ट्रिब्रोमोफिनोल-2, 4, 6
399. ट्रिक्लोरो एसिटेल क्लोराइड
400. ट्रिक्लोरो इथेन
401. ट्रिक्लोरो नेपथालेन
402. ट्रिक्लोरोजक्लोरो मिथाइल सिलेन
403. ट्रिक्लोरोडीक्लोरोफिनाइलसिलेन
404 ट्रिक्लोरोइथेन-1, 1, 1
405. ट्रिक्लोरोइथाइलसिलेन
406. ट्रिक्लोरोइथा इलेन
407. ट्रिक्लोरोमिथेनसलफिनिल क्लोराइड
408. ट्रिक्लोरोफिनोल-2, 2, 6
409. ट्रिक्लोरोफिनोल,-2, 4, 5
410. ट्रिइथाइलएमाइन
411. ट्रिइथाइलीनमेलामाइन
412. ट्रिमिथाइहल क्लोरोसिलेन
413. ट्रिमिथाइलप्रोपेन फोसफाइट
414. ट्रिनिट्रोएनीलाइन
415. ट्रिनिट्रोएनीसोल 2, 4, 6
416. ट्रिनिट्रोबेंजीन
417. ट्रिनिट्रोबेंजोइक एसिड
418. ट्रिनिट्रोक्रेसोल
419. ट्रिनिट्रोफिनिटोल 2, 4, 6
420. ट्रिनिट्रोरेसरोसिनोल,–2, 4, 6 (स्टाइफिनिक एसिड)
421. ट्रिनिट्रोटोलूइन
422. ट्रिओरथोक्रीसल फास्फेट
423. ट्रिफिनाइलटिन क्लोराइड
424. टरपेनटाइन
425. यूरेनियम एंड कम्पाउण्डस
426. वैनेडियम एंड कम्पाउण्डस
427. विनाइल क्लोराइड
428. विनाइल फलोराइड
429. विनाइल टोलूइन
430. वारफारिन
433. जाइलेन
431. जाइलिडाइन
437. जिंक एंड कम्पाउण्डस
434. जिरकोनियम एंड कम्पाउण्डस

अनुसूची-2

[देखें 2 (ङ) (i), 4 (1)(ख), 4(i)(1), 5 तथा 6 (1) (ख)]

अनुसूची 4 के अंतर्गत भंडारणों के अतिरिक्त अवस्थापनों में भंडारण

नीचे दी गई मात्राएं समान पदाधिकारी के प्रत्येक अवस्थापन अथवा अवस्थापनों के समूह से संबंधित है, जहां अनुमानित परिस्थितियों में, बड़ी दुर्घटनाओं के खतरों में वृद्धि को रोकने के लिए अवस्थापनों के मध्य की दूरी पर्याप्त नहीं है। ये मात्राएं किसी भी स्थिति में समान पदाधिकारी के उन अवस्थापनों के प्रत्येक समूह पर लागू होती है, जहां अवस्थापनों के मध्य की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) किसी अकेले भंडारण में खतरनाक पदार्थ की अवशिष्ट गुणवत्ता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी भी खतरनाक स्थापन का लेखा रखा जाएगा, जो :—

(i) अभिष्ठापना के नियंत्रण में किसी भी पाइपलाइन के उस भाग में जिसमें उसका नियंत्रण हो, जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो और उससे जुड़ा हो ;

(2) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में कोई अन्य स्थान, सीमा का कोई भाग जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो; तथा

(3) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी वाहन, जहाज, वायुयान या होवरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल या तो स्थान पर अथवा इसके 500 मीटर के भीतर भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है :

लेकिन इस प्रकार के किसी खतरनाक रसायन का लेखा नहीं रखा जाएगा जो किसी वाहन, जहाज, वायुयान अथवा होवर क्राफ्ट में हो

रसायन	प्रारंभिक मात्राएं (टन)	
	नियम 4, 5 और 7 से 9 के अनुप्रयोग के लिए	नियम 10 से 15 के अनुप्रयोग के लिए
1	2	3
1. एक्रिलोनाइट्रील	350	5000
2. अमोनिया	60	600
3. अमोनियम नाइट्रेट (क)	350	2,500
4. अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक (ख)	1250	10000
5. क्लोरीन	10	75
6. अनुसूची 1, अनुच्छेद (ख) (1) में वर्णित ज्वलनशील गैसें	50	300
7. अनुसूची 1, अनुच्छेद (ख) (11) में वर्णित उच्च ज्वलनशील तरल	10,000	10,0000
8. द्रव आक्सीजन	200	2000
9. सोडियम क्लोरेट	25	250
10. सल्फर डाइ आक्साइड	20	600
11. सल्फर ट्राइ आक्साइड	15	100

(क) यह अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट में उन मिश्रणों पर लागू होता है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट के जलीय घोल से प्राप्त नाइट्रोजन के तत्व भार से 28 प्रतिशत अधिक हों जिनमें अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता भार से 90 प्रतिशत अधिक होती है ।

(ख) यह सीधे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों तथा उर्वरकों के मिश्रणों पर लागू होता है जहां अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन का तत्व भार से 28 प्रतिशत अधिक है (एक मिश्रण उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट तथा फास्फेट तथा/या पोटाश शामिल हों) ।

अनुसूची—3

[देखें नियम-5(क) (3), 5 तथा 6(1) (क)]

नियम-7 से 15 के विनियमन के लिए खतरनाक रसायनों की सूची

नीचे दी गई मात्राएं समान पदाधिकारी के प्रत्येक अवस्थापन अथवा अवस्थापनों के समूह से संबंधित हैं, जहां अनुमानित परिस्थितियों में बड़ी दुर्घटनाओं के खतरों में वृद्धि को रोकने के लिए अवस्थापनों के मध्य की दूरी पर्याप्त नहीं है। ये मात्राएं किसी भी स्थिति में समान पदाधिकारी के उन अवस्थापनों के प्रत्येक समूह पर लागू होती है, जहां अवस्थापनों के मध्य की दूरी 500 मी० से कम है।

(ख) किसी अकेले भंडारण में खतरनाक पदार्थ की अवसीमा गुणवत्ता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी भी खतरनाक रसायन को ली रखा जायगा, जो :—

(1) अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी पाइपलाइन के उस भाग में जिसमें उसका नियंत्रण हो, जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो और उससे मिला हो ,

(2) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में कोई अन्य स्थान, सीमा का कोई भाग जो इस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो, तथा

(3) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी वाहन, जहाज, वायुयान या होवरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल या तो स्थान पर अथवा इसके 500 मीटर के भीतर भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है,

लेकिन इस प्रकार के किसी खतरनाक रसायन का लेखा नहीं रखा जायेगा जो किसी वाहन, जहाज, वायुयान अथवा होवरक्राफ्ट में हो ।

IndiaCode

भाग-1

नामोद्दिष्ट रसायन

क्रम सं.	रसायन	प्रारंभिक मात्रा		सीएएस संख्या
		नियम 5, 7-9 तथा 13-15 के अनुप्रयोग के लिए	नियम 10-12 के अनुप्रयोग के लिए	
1	2	3	4	5
ग्रुप 1—विषैले पदार्थ				
1.	एल्डीकार्ब	100 कि.ग्रा.		116-06-3
2.	4 एमिनोडिफिनाइल	1 कि. ग्रा.		92-6-1
3.	एमिटोन	1 कि.ग्रा.		78-53-5
4.	एनाबेसाइन	100 कि.ग्रा.		494-52-0
5.	अरसेनिक पेनटोक्साइड, अरसेनिक (5) अम्ल और लवण	500 कि. ग्रा.		
6.	अरसेनिक ट्राइआक्साइड, अरसिनिअस (3) अम्ल और लवण	100 कि. ग्रा.		
7.	अरसाइन (अरसेनिक हाइड्राइड)	10 कि. ग्रा.		774-41-1
8.	एजिफोस-इथाइल	100 कि. ग्रा.		8642-71-9
9.	एजिनफोस-मिथाइल	100 कि.ग्रा.		86-50-0
10.	बेंजिडाइन	1 कि. ग्रा.		92-87-5
11.	बेंजिडाइन लवण	1 कि. ग्रा.		
12.	बेरियलियम (पाउडर, मिश्रण)	10 कि. ग्रा.		
13.	बिस 2—क्लोरोइथाइल (सल्फाइड)	1 कि. ग्रा.		505-60-2
14.	बिस (क्लोरोमियाइल) ईथर	1 कि. ग्रा.		542-88-1
15.	कारबोफुरन	100 कि. ग्रा.		1563-66-2
16.	कारबोफिनोथियोन	100 कि. ग्रा.		786-19-6
17.	क्लोरोफिनविनफोस	100 कि. ग्रा.		470-90-6
18.	4-(क्लोरोफोरमेल) 'मारफोलिन	1 कि. ग्रा.		15159-40-7
19.	क्लोरोमिथाइल/नियाइल ईथर	1 कि. ग्रा.		107-30-2
20.	कोबाल्ट (धातु आक्साइड, कार्बोनेट, साल्फाइड, पाउडर के रूप में)	1 टन		
21.	क्रीमिडाइन	100 कि. ग्रा.		535-89-7
22.	सैयोएट	100 कि. ग्रा.		3734-95-0
23.	साइक्लोहेक्सिमाइड	100 कि. ग्रा.		66-81-9
24.	डेमिटन	100 कि. ग्रा.		8064-48-3
25.	डायलिफोस	100 कि. ग्रा.		10311-84-9
26.	00-डिइथाइल एस-इथाइलसल्फोनिल मिथाइल फासफोरोथियोएट	100 कि. ग्रा.		2588-05-8
27.	00-डियिथाइल एस-इथाइलसल्फो निलमिथाइल फासफोरो थायोएट	100 कि. ग्रा.		2588-06-9
28.	00-डिथाइल एस-इथाइलथियोमिथाइल फासफोरोथयोएट	100 कि. ग्रा.		2600-69-3
29.	00-डिथाइल एस-आइसोप्रोपाइलथीयोमिथाइल फासफोरोडिथियेएट	100 कि. ग्रा.		78-52-4
30.	00-डिथाइल एस-प्रोफिलथीयोमिथाइल फासफोरोडिथियेएट	100 कि. ग्रा.		3309-68-0
31.	डेमीफोमस	100 कि. ग्रा.		115-26-4
32.	डिमियाइलकारबामोइल क्लोराइड	1 कि. ग्रा.		79-44-7
33.	डिमियाइलनाइट्रोसेमाइन	1 कि. ग्रा.		62-75-9
34.	डिमियाइलफासफोरएट डोसा नीडि के अम्ल	1 टन		62 917-41-9
35.	डिफेनाइलीन	100 कि. ग्रा.		82-66-6

IndiaCode

1	2	3	4	5
36.	डिसलफोटोन	100 कि.ग्रा		298-04-4
37.	ईपीएन	100 कि.ग्रा		2104-64-5
38.	इथिओन	100 कि.ग्रा.		563-12-2
39.	फेनसलफोथियोन	100 कि.ग्रा.		115-90-2
40.	फैनूयनिटिल	100 कि.ग्रा.		4301-50-2
41.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल,	1 कि.ग्रा.		144-49-0
42.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
43.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल एस्टर	1 कि.ग्रा.		
44.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल, एमाइडस	1 कि.ग्रा.		
45.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		462-23-7
46.	4-फ्लुरोबुट्रिक एसिड, लवण	1 कि.ग्रा.		
47.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल-एस्टर	1 कि.ग्रा.		
48.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल-एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
49.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		37759-72-1
50.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
51.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल, एस्टर	1 कि.ग्रा.		
52.	4-फ्लोरोक्रोटोनिक अम्ल, एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
53.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सीबुट्रिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		
54.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सीबुट्रिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
55.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सीबुट्रिक अम्ल, एस्टर	1 कि.ग्रा.		
56.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सीबुट्रिक अम्ल, एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
57.	ग्लाइकोलोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीऐसिटोनीट्राइल	100 कि.ग्रा.		1907-16-4
58.	1, 2, 3, 7, 8, 9-हेक्साक्लोरोडिबेनजो-पी-डायोक्सिन	100 कि.ग्रा.		19408-74-3
59.	हेक्सामिथाइलफासफोरेमाइड	1 कि.ग्रा.		600-3-9
60.	हाइड्रोजनसायनाइड	10 कि.ग्रा.		7783-07-5
61.	आइसोबेनजन	100 कि.ग्रा.		297-78-9
62.	आइसोड्रिन	100 कि.ग्रा.		465-73-6
63.	जुगलोन (5-हाइड्रोक्सीनेपथैलीन-1-4-डायोन)	100 कि.ग्रा.		481-39-0
64.	4, 4"-मिथाइलीनबिस (2-क्लोरोएनिलीन)	10 कि.ग्रा.		101-14-4
65.	मिथाइलआइसोसाइनेट	150 कि.ग्रा.	150 कि० ग्रा०	624-83-9
66.	मेविनफोस	100 कि.ग्रा.		7786-34-7
67.	2-नेपथिलेमाइन	1 कि.ग्रा.		91-59-8
68.	निकल (धातु, आक्साइड, कारबोनेट, सल्फाइड, पाउडर के रूप में)	1 टन		
69.	निकल टेट्राकारबोनिल	10 कि.ग्रा.		13463-39-3
70.	आक्सीडिसल्फोटन	100 कि.ग्रा.		2497 07-6
71.	आक्सीजनडि, फ्लुराइड	10 कि.ग्रा.		7783-41-7
72.	पेराक्सन (डिइथाइल 4-नाइट्रोफिनाइल फासफेट)	100 कि.ग्रा.		311-45-5

IndiaCode

1	2	3	4	5
73.	पेराथिआन	100 कि.ग्रा.		56-38-2
74.	पेराथिआन-मिथाइल	100 कि.ग्रा.		298-00-0
75.	पेन्टाबोरेन	100 कि.ग्रा.		19624-22-7
76.	फोरेट	100 कि.ग्रा.		298-02-2
77.	फोसएसीटिम	100 कि.ग्रा.		4104-14-7
78.	फोसजीन (कारबोनिल क्लोराइड)	750 कि.ग्रा.	750 कि.ग्रा.	75-44-5
79	फासफेमिडन	100 कि.ग्रा.		13171-21-6
80.	फासफिन (हाइड्रोजन फासफाइड)	100 कि.ग्रा.		7803-51-2
81.	प्रोमुरिट (1-) 3, 4 डिक्लोरोफिनाइल-3-ट्राइमेथाक्सीबेन्जोकारबोनिलएमाइड	100 कि.ग्रा.		5836-73-7
82.	1, 3-प्रोपेनसल्टोन	1 कि.ग्रा.		1120-71-4
83.	1-प्रोपेन-2-क्लोरो-1, 3-डिओल डाइएसीटेट	10 कि.ग्रा.		1118-72-6
84.	पायरेजोक्सोन	100 कि.ग्रा.		108-34-9
85.	सेलिनियमहेक्साफ्लुराइड	10 कि.ग्रा.		7783-79-1
86.	सोडियमसेलीनाइट	100 कि.ग्रा.		10102-18-8
87.	स्टीबाइन (एन्टीमोनीहाइड्राइड)	100 कि.ग्रा.		7803-52-3
88.	सल्फोटेप	100 कि.ग्रा.		3689-24-5
89.	सल्फर डाइक्लोराइड	1 टन		10545-99-0
90.	टैलूरियम हैक्साफ्लुराइड	100 कि.ग्रा.		7783-80-4
91.	टीईपीपी	100 कि.ग्रा.		107-49-43
92.	2, 3, 7, 8-टेट्राक्लोरोडाई बेन्जो-पी-डायोक्सिन (टीसीडीडी)	1 कि.ग्रा.		1746-01-6
93.	टेट्रामिथाइलीनडाइसल्फोटेट्रामाइन	1 कि.ग्रा.		80-12-6
94.	थायोनेजिन	100 कि.ग्रा.		297-97-2
95.	थिमेट (2, 4-डिमिथाइल-1, 3-डिथायोलेन-2कारबोक्सनडिहाइड O-मिथाइलकारबोमोएलओक्जाइम	100 कि.ग्रा.		26419-73-8
96.	ट्राइक्लोरोमिथेनसलफिनेल क्लोराइड	100 कि.ग्रा.		594-42-3
97.	1-ट्राई (साइक्लोहिक्सल) स्टैनल-1 एच-1, 2, 4-ट्राइएजोल	100 कि.ग्रा.		41083-11-8
98.	ट्राईइथाइलीनमिलेमाइन	10 कि.ग्रा.		51-18-3
99.	वारफेरिन	100 कि.ग्रा.		81-81-2
ग्रुप-2	जहरीले पदार्थ			
100.	एसीटोन साइनोहाइड्रिन (2-साइनोप्रोपेन-2-ओल)	200 टन		75-86-5
101.	एक्रोलिन (2-प्रोपेनल)	20 टन		107-02-8
102.	एक्रीलोनीट्राइल	20 टन	200 टन	107-13-1
103.	एलेल एलकोहल (2-प्रोपेन-1-ओल)	200 टन		107-18-6
104.	एलीलेमाइन	200 टन		7664-41-7
105.	अमोनिया	50 टन	500 टन	7664-41-7
106.	ब्रोमीन	40 टन		7726-95-6
107.	कार्बन डाइसल्फाइड	20 टन	200 टन	75-15-0
108.	क्लोरीन	50 टन	100 टन	7782-50-5
109.	डिफिनेल मिथेन डी आइसोथसाइनेट (एम डी आई)	20 टन		101-68-8
110.	इथेलीन डीब्रोमाइड (1, 2-डिब्रोमोइथेन)	5 टन		106-93-4
111.	इथेलीनइमाइन	50 टन		151-56-4
112.	फोरमलडिहाइड (संघता > 90 प्रतिशत)	5 टन		50-00-0
113.	हाइड्रोजन क्लोराइड (लिक्वीफाइडगैस)	25 टन	250 टन	7647-01-0

IndiaCode

1	2	3	4	5
114.	हाइड्रोजनसाईनाइड	5 टन	20 टन	74-90-8
115.	हाइड्रोजनफ्लोराइड	5 टन	50 टन	7664-39-3
116.	हाइड्रोजनसल्फाइड	5 टन	50 टन	7783-06-4
117.	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)	20 टन		74-83-9
118.	नाइट्रोजनआक्साइड	50 टन		11504-93-1
119.	प्रोपीलिनइमाइन	50 टन		75-55-8
120.	सल्फर डाइआक्साइड	20 टन	250 टन	7446-09-5
121.	सलफर ट्राइआक्साइड	15 टन	75 टन	7446-11-9
122.	टेट्रा	5 टन		78-00-1
123.	टेट्रामिथाइल लीड	5 टन		75-74-1
124.	टूलिन डाई-आइसो साइनेट (टीडीआई)	10 टन		584-84-9 75-01-4
ग्रुप-3—	अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक पदार्थ			
125.	एसीटिलीन (इथाइन)	5 टन		74-86-2
126.	क. अमोनियम नाइट्रेट (1)	350 टन	2500 टन	6484-52-2
	ख. उर्वरक के रूप में आमोनियम नाइट्रेट (2)	1250 टन		
127.	2, 2-बिस 'टरटबुटाइल परोक्सी) बुटेन (सांद्रता ≥ 75 प्रतिशत)	5 टन		2167-23 9
128.	1,-1 बिस (टरट-बुटेल परीक्सी (साइक्लोहेक्सेन सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		3006-86-8
129.	टरट-बुटिल पिरोक्सी) सीटट सान्द्रता ≥ 70 प्रतिशत	5 टन		107-71-1
130.	टरटबुटेलपरोक्सीआईसो बुराइरेट (सांद्रता ≤ 80 प्रतिशत)	5 टन		109-13-7
131.	टरटबुटेल परोक्सीआइसोप्रोपल कारबोरेट (सान्द्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		2372-21-6
132.	टरट बुटेलप्रोक्सी मेलिएट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		1931-62-0
133.	टरटबुटेलप्रोक्सीपिवेलेट (सांद्रता ≥ 77 प्रतिशत)	50 टन		927-07-1
134.	डाईसेंजिलप्रोक्सीडाई कारबोनेट (सांद्रता ≥ 90 प्रति)	5 टन		2144-45-8
135.	डाईसेक-बुटेल प्रोक्सीडिकारबोनेट (सांद्रता ≥ 80 प्रति)	5 टन		19910-65-7
136.	डी इथाइलपीक्सीडाई कारबोनेट (सांद्रता ≥ 80 प्रति)	50 टन		14666-78-5
137.	2, 2-डिहाइड्रोफिरोक्सी प्रोपेन (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		2614-76-8
138.	डिआइसोबुटाइरल पैरोक्साइड (सांद्रता 50 प्रति)	50 टन		3437-84-1
139.	डि-एन-प्रोपिल प्रोक्सी डाईकारबोनेट (सांद्रता 80 प्रति)	5 टन		16066-38-9
140.	इथाइलिन आक्साइड	5 टन	50 टन	75-21-3
141.	इथाइल नाइट्रेट	50 टन		625-58-1
142.	3, 3, 6,6, 9,9–हैक्सामिथाइल- 1, 2, 4, 5- टेट्रोक्साइक्लोनोनेन (सांद्रता 75 प्रतिशत)	50 टन		22397-33-7
143.	हाइड्रोजन	2 टन	50 टन	1333-74-0
144.	तरल आक्सीजन	200 टन		7782-44-7
145.	मिथाइलइथाइल किटोन पैरोक्साइड (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		1338-23-4
146.	मिथाइल आइसो बुटलकिटोन पैरोक्साइड (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		37206-20-5
147.	परएसिटिक एसिड (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		79-21-0
148.	प्रोपीलिन आक्साइड	5 टन		55-56-9
149.	सोडियम क्लोरेट	25 टन		7775-09-9
ग्रुप 4—	विस्फोटक पदार्थ			
150.	बेरियम एजाइड	50 टन		18810-58-7
151.	बिस (2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफिनाइल एमाइन)	50 टन		131-73-7
152.	क्लोरोट्राइनाइट्रोबेनजीन	50 टन		28260-61-9
153.	सेलूलोज, नाइट्रेट (इसमें 12.6 प्रतिशत नाइट्रोजन है)	50 टन		9004-70-0
154.	साइक्लोटेट्रामिथाइलीन ट्रीनाइट्रेमाइन	50 टन		2691-41-0

IndiaCode

1	2	3	4	5
155.	साइक्लोट्राईमिथाइलीन ट्रीनिट्रेमाइन	50 टन		121-92-4
156	डाइनोडिनाइट्रोफिनील	10 टन		7008-81-3
157.	डिइथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन		628-96-6
158.	डिनाइट्रोफिनोल, लवण	50 टन		
159.	इथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन		628-96-6
160.	1-गुनिल-4-नाइट्रोसेमिनोनिल-1-टेट्राजीन	10 टन		109-27-3
161.	2, 2', 4, 4, 6, 6'-हैक्सानाइट्रोस्टीलबीन	50 टन		20062-22 0
162.	हाई ब्रेजिंग नाइट्रेट	50 टन		17464-97-6
163.	लीड एजाइड	50 टन		13424-46-9
164.	लीड इस्टफनेट (लीड 2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोट रिसोरसीनोक्साइड)	50 टन		15245-44-0
165.	मरकरी फुलमिनेट	10 टन		20820-45-5 628-86-4
166.	एन-मिथाइल- एन-2, 4, 6-टेट्रानाइट्रोएनिलिन	50 टन		479-45-8
167.	नाइट्रोग्लीसरीन	10 टन	10 टन	55-63-0
168.	पेन्टाइरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट	50 टन		78-11-5
169.	पिक्रारिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिनाइट्रोफिनोल)	50 टन		88-89-8
170.	सोडियम पिक्रेनेट	50 टन		831-52-7
171.	पिटाइफनिक एसिड (2, 4, 6-(ट्रीनाइट्रोरिसोर सिनोल)	50 टन		82-71-3
172.	1, 3, 5 ट्राइएमिनो-2, 4, 6-ट्राईनाइट्रो बेनजीन	50 टन		3058(—) 38-6
173.	ट्राईनाइट्रोएनीलिन	50 टन		26952-42-1
174.	2, 4, 6-ट्राईनाइट्रो एनीसोल	50 टन		606-35-9
175.	ट्राइनाइट्रोबेनजीन]	50 टन		25377-32-6
176.	ट्राइनाइट्रोबेनजोइक एसिड	50 टन		35860-50-5 129-66-8
177.	ट्राइनाइट्रोक्रेसोल	50 टन		28905-71-7
178.	2, 4, 6-ट्राइनाट्रोफेनीटोल	50 टन		4732-14-3
179.	2, 4, 6-ट्राईनाइट्रोटोलूएन	50 टन	50 टन	118-96-7

भाग—2

खण्ड-1 में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किये गए पदार्थों के वर्ग

ग्रुप-5 ज्वलनशील पदार्थ

ज्वलनशील गैसें

वे पदार्थ जो सामान्य दाब में गैसीय अवस्था में हैं और हवा के साथ मिलाने पर ज्वलनशील हो जाते हैं और जिनका सामान्य दाब में क्वार्यलिंग प्वाइंट सामान्य दाब में 20 डिग्री सेंटीग्रेट अथवा उससे नीचे है	15 टन	200 टन
2. अत्यधिक ज्वलनशील द्रव :		
वे पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेट से कम है और सामान्य दाब में जिसका क्वार्यलिंग प्वाइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक है।	1000 टन	50000 टन
3. ज्वलनशील द्रव :		
वे पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाइंट 55 डिग्री सेंटीग्रेट से कम है और जो दाब में भी सामान्य रहती है, अधिक दाब और अधिक ताप जैसे विशेष संसाधन दशाओं में बड़ी दुर्घटना हो सकती है।	25 टन	200 टन

(1) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त होने वाला नाइट्रोजन भार में 28 प्रतिशत से अधिक हो और अमोनियम नाइट्रेट का तरल घोल संदृ अमोनियम नाइट्रेट से भार में 90 प्रतिशत अधिक हो।

(2) यह अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और यौगिक उर्वरकों के लिए प्रयुक्त होता है जहां अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन भार में 28 प्रतिशत से अधिक हो (यौगिक उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट के साथ फास्फेट और/या पोटाश होता है)।

IndiaCode

अनुसूची-4

[देखें नियम 2 (एक) (1)]

1. कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन, संसाधन अथवा शोधन हेतु स्थापनायें जिसमें अन्यों के साथ निम्न रसायनों का प्रयोग होता है:

(क) अल्काइलेशन
(ख) अमोनोलाइसिस द्वारा एमीनेशन
(ग) कार्बोनीलेशन
(घ) अनीभूतकरना
(ङ) डीहाइड्रोजीनेशन
(च) एस्टरीफिकेशन
(छ) हेलोजीनेशन और हेलोजिन्स का उत्पादन
(ज) हाइड्रोजीनेशन
(झ) हाइड्रोलाइसिस
(ट) आक्सीकरण
(ठ) पोलीमेरीजेशन
(ड) सल्फोनेशन
(ढ) डीसल्फरीजेशन, सल्फरधारक यौगिकों का उत्पादन और रूपांतरण
(ण) नाइट्रेशन और नाइट्रोजन धारक यौगिकों का उत्पादन
(त) फासफोरस धारक यौगिकों का उत्पादन
(थ) कीटनाशक और औषधियें उत्पाद बनाना
(द) आसवन
(ध) निष्कर्षण
(न) विलयन
(प) मिश्रण

2. पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलियम उत्पादों के आसवन, शोधन अथवा अन्य प्रक्रियाओं हेतु स्थापनायें।

3. भस्मीकरण अथवा रासायनिक विघटन द्वारा ठोस अथवा तरल पदार्थों के सम्पूर्ण अथवा आंशिक निपटान हेतु स्थापनाएं।

4. ऊर्जा पैसों उदाहरणार्थ एल पी जी, एल एन जी, एस एन जी के उत्पादन, संसाधन अथवा उपचार हेतु स्थापनाएं।

5. कोयला अथवा लिगनाइट के शुष्क आसवन हेतु स्थापनाएं ।

6. बेट प्रोसेस अथवा विद्युत ऊर्जा के द्वारा आनु अथवा अक्षानु उत्पादन के लिए स्थापनाएं

अनुसूची 5

[नियम 2(ख) और 3 देखिए]

क्र. सं.	विधिक समर्थन सहित प्राधिकरण	कर्तव्य और तत्संबंधी नियम
1	2	3
1.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय।	(1) नियम 2(क)(i), 2(क) (ii) और 2(क)(iii) के अनुसार परिसंकटमय रसायनों की अधिसूचना
2	आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक।	नियम 17 के अनुसार परिसंकटमय रसायनों का आयात।
3.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन यथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	(i) परिसंकटमय रसायनों के एकत्र भंडारण की संबंधित निदेशों और प्रक्रियाओं का निम्नलिखित के बारे में प्रवर्तन (1) नियम 5 (1) और 5(2) के अनुसार व्यष्टि दुर्घटनाओं की अधिसूचना। (ii) नियम 7 और 9 के अनुसार रसायनों की अधिसूचना (iii) नियम 10 से 12 के अनुसार एकत्र भंडारणों की संबंधित सुरक्षा रिपोर्ट। (iv) नियम 13 के अनुसार स्थल आपात योजना बनाना।

(1)	2
	(2) नियम 17 के अनुसार परिसंकटमय रसायनों का आयात और परिसंकटमय रसायनों के आयात पर निदेशों और प्रक्रिया का प्रवर्तन।
4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	औद्योगिक संस्थापनों और एकल भंडारण की बाबत निर्देशों और प्रक्रिया का प्रवर्तन जो परिसंकटमय रसायनों और पाइपलाइनों और अन्तर्राज्यीय पाइप लाइनों के संबंध में निम्नलिखित के बारे में हैं :—
	(1) नियम 5(1) और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।
	(2) नियम 7-9 के अनुसार स्थलों की अधिसूचना।
	(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्ट।
	(4) नियम 13 के अनुसार स्थल और आपात योजना का बनाना।
	(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीश या जिला आपातकाल अधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर आपातकाल योजनाएं तैयार करना।
5. डॉक कर्मकार (सुरक्षा) स्वास्थ्य और कल्याण, अधिनियम, 1986 के अधीन नियुक्त डॉक सुरक्षा मुख्य निरीक्षक।	ऐसे औद्योगिक संस्थापनों और एकल भण्डारणों की बाबत जो परिसंकटमय रसायनों और पाइप लाइनों के संबंध में कार्य करते हैं, निम्नलिखित के बारे में निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन :—
	(1) नियम 5(1), और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।
	(2) नियम 7 से 9 के अनुसार स्थलों की अनुसूची।
	(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्ट।
	(4) नियम 13 के अनुसार स्थल पर आपात योजना का बनाना।
	(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीश या जिला आपातकाल प्राधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर आपातकाल योजनाएं तैयार करना।
6. खान अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त खान मुख्य निरीक्षक	ऐसे औद्योगिक संस्थापनों और एकल भण्डारणों की बाबत जो परिसंकटमय रसायनों और पाइप लाइनों और अन्तर्राज्यीय पाइप लाइनों के संबंध में कार्य करते हैं, निम्नलिखित के बारे में निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन :—
	(1) नियम 5(1) और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।
	(2) नियम 7 से 9 के अनुसार स्थलों की अनुसूची।
	(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्ट।
	(4) नियम 13 के अनुसार स्थल पर आपात योजना का बनाना।
	(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीश या जिला आपातकाल प्राधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर आपातकाल योजनाएं तैयार करना।
7. आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1972 के तहत नियुक्त आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड।	आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन।
8. भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियम 1983 के अधीन नियुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक।	भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार निदेश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन।
9. राज्य सरकार द्वारा यथाविहित जिला कलक्टर या जिला आपात प्राधिकरण।	नियम 14 के अनुसार स्थल से दूर आपात योजना बनाना।

अनुसूची 6

[नियम 5(1) देखिए]

किसी व्यापक दुर्घटना की अधिसूचना की बाबत दी जाने वाली जानकारी

विशिष्ट दुर्घटना की रिपोर्ट संख्या.....

1. साधारण अभिदेश :

(क) स्थल का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम और पता, (टेलीफोन/टेलेक्स संख्या भी उल्लेख करें)

(ग) (1) रजिस्ट्रीकरण संख्या

(2) अनुज्ञप्ति संख्या (जो स्थल पर अर्थात् कारखाना अधिनियम को लागू किसी काम के प्रधीन आवंटित की गई हो)

(घ) (1) औद्योगिक क्रियाकलाप की प्रकृति (इस बात का उल्लेख करें कि वास्तव में किस चीज का विनिर्माण, भंडारण आदि किया जाता है)।

(2) चार संख्या स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1987

(2) व्यापक दुर्घटना का प्रकार

विस्फोट [] अग्नि [] खतरनाक पदार्थ का उत्सर्जन []

उत्सर्जित पदार्थ

(3) व्यापक दुर्घटना का वर्णन

(क) दुर्घटना की तारीख, पारी और घंटे

(ख) विभाग, अनुभाग और वह वास्तविक स्थल जहां दुर्घटना घटित हुई।

(ग) विभाग/अनुभाग में चलाई गई प्रक्रिया/प्रचालन जहां दुर्घटना घटित हुई (यदि आवश्यक हो तो एक गति चार्ट भी संलग्न करें)

(घ) दुर्घटना की परिस्थितियां और उसमें अन्तर्वलित खतरनाक पदार्थ

(4) दुर्घटना के अल्पकालीन प्रभावों को दूर करने के लिए किए गए आपात उपाय और परिकल्पित उपाय।

(5) व्यापक दुर्घटना के कारण

ज्ञात हैं (विनिर्दिष्ट किए जाएं) []

अज्ञात हैं

जानकारी यथा-संभव शीघ्र प्रदान की जाएगी

(6) नुकसान की प्रकृति और मात्रा

(क) स्थापन के भीतर—दुर्घटनाएं

.....मारे गए

.....क्षतिग्रस्त

.....विस्थापन

—व्यापक दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति

—तात्विक नुकसान

—पर्यावरण खतरा अब भी विद्यमान है

—खतरा अब विद्यमान नहीं है।

(ख) स्थापन के बाहर

—दुर्घटनाएं

.....मारे गए

.....क्षतिग्रस्त

.....विस्थापन

व्यापक दुर्घटनासे प्रभावित व्यक्ति

—तात्विक नुकसान

IndiaCode

—पर्यावरण का नुकसान ☐

—खतरा अब भी विद्यमान है ☐

—खतरा अब विद्यमान नहीं है ☐

(7) व्यक्तियों और पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभाव के निर्धारण के लिए उपलब्ध आंकड़े।

(8) (क) दुर्घटना के मध्यम या दीर्घकालीन प्रभावों को दूर करने के लिए,

(ख) इसी प्रकार की व्यापक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए

पहले ही की गई या परिकल्पित कार्यवाहियां।

(ग) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

अनुसूची 7

[नियम 7(1) देखिए]

स्थलों की अधिसूचना के लिए दी जाने वाली जानकारी

भाग 1

किसी स्थल की अधिसूचना सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां।

1. अधिसूचना करने वाले नियोजक का नाम और पता

2. उस स्थल का पूरा डाक पता जहां अधिसूचना किए जाने योग्य औद्योगिक क्रियाकलाप चलाया जाएगा।

3. अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले स्थल और किसी निकट स्थल का वह क्षेत्र जिस पर अनुसूची 2 और 3 का ख (ii) के आधार पर विचार करना अपेक्षित है।

4. वह आंकड़े जिस पर यह प्रत्याशित है कि अधिसूचना किए जाने योग्य औद्योगिक क्रियाकलाप प्रारंभ होगा या यदि वह पहले ही प्रारंभ हो चुका है, तो उस आशय का एक कथन।

5. प्रत्येक खतरनाक पदार्थ का नाम और उसकी अधिकतम मात्रा जो स्थल पर हो सकती है, जिसके लिए अधिसूचना की जा रही है।

6. संगठन, संरचना, अर्थात् प्रस्तावित औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए संगठनात्मक डायग्राम और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था।

7. व्यापक दुर्घटनाओं के लिए संभावनाओं से संबंधित जानकारी, अर्थात्

(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकटों की पहचान ;

(ख) वे दशाएं या घटनाएं जो इस प्रकार की घटना पैदा करने महत्वपूर्ण हो सकती है;

(ग) किए गए उपायों का एक संक्षिप्त विवरण।

8. स्थल से संबंधित जानकारी अर्थात् :—

(क) स्थल और उसके समीपवर्ती क्षेत्र का एक बड़े पैमाने तक का एक मानचित्र जो ऐसी विशेषताओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त हो जो स्थल से संबद्ध परिसंकट या जोखिम के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकती हैं :

(i) वह क्षेत्र जिसके व्यापक दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना है,

(ii) सामीप्य क्षेत्र में जनसंख्या वितरण।

(ख) स्थल का एक परिमाप रेखांक जिसमें परिसंकटमय रसायनों की सभी महत्वपूर्ण तालिकाओं का अवस्थान और मात्रा वर्णित की गई हो:

(ग) ऐसी प्रक्रिया या भंडारण का वर्णन जिसमें परिसंकटमय रसायन अन्तर्वलित हैं और उन दशाओं को उपदर्शित किया जाना जिनके अधीन वे रसायन सामान्य रूप से धारित किए जाते हैं;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिनके स्थल पर मौजूद होने की संभावना है।

9. कर्मकारों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था और ऐसे कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपस्कर।

भाग 2

पाइप लाइन की बाबत सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां :

1. अधिसूचना करने वाले व्यक्ति का नाम और पता

2. उस स्थान का पूरा डाक पता जिससे पाइपलाइन संबंधी क्रियाकलाप को नियंत्रित किया जाता है, उन स्थानों के पते जहां से पाइपलाइन प्रारंभ होती है और जहां समाप्त होती है और 1:400000 से अनधिक के एक परिमाप पर आंका गया पाइप लाइन मार्ग को दर्शाने वाला एक नक्शा।

3. वे आंकड़े जिन पर प्रत्याशित है कि अधिसूचना किए जाने योग्य क्रियाकलाप प्रारंभ होगा, या यदि वह पहले ही प्रारंभ हो चुका है तो उस आशय का एक कथन।

4. पाइपलाइन की कुल लंबाई, उसका व्यास और सामान्य प्रचालन दाब और ऐसे प्रत्येक परिसंकटमय रसायन का नाम और उसकी अधिकतम मात्रा जो पाइप लाइन में हो सकती है जिसके लिए अधिसूचना की जा रही है।

अनुसूची 8

[नियम 10(1) देखिए]

सुरक्षा रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी

1. जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पता।

2. औद्योगिक क्रियाकलाप का वर्णन अर्थात् :--

(क) स्थल,

(ख) संनिर्माण डिजाइन,

(ग) संरक्षण जोन (विस्फोट संरक्षण) अलगाव दूरी,

(घ) संबंध को पहुंच

(ङ) स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्ति की और विशेषकर ऐसे व्यक्तियों की जो परिसंकट से प्रभावित हैं, अधिकतम संख्या।

3. प्रक्रियाओं का वर्णन, अर्थात् :--

(क) औद्योगिक क्रियाकलाप का तकनीकी प्रयोजन,

(ख) प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं के आधारभूत सिद्धांत,

(ग) व्यष्टिक प्रक्रिया प्रक्रमों के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी आंकड़ें।

(घ) प्रक्रिया वर्णन।

(ङ) सुरक्षा संबंध उपयोगिताओं के प्रकार।

4. परिसंकटमय रसायनों का वर्णन, अर्थात् :--

(क) रसायन (मात्रा, पदार्थ, आंकड़े, सुरक्षा संबंध आंकड़े, विषाक्तता संबंधी आंकड़े और देहली मान।)

(ख) वह रूप जिसमें रसायन दृष्टिगोचर हो सकता है या जिसमें असामान्य दशाओं में परिवर्तित हो सकता है।

(ग) परिसंकटमय रसायनों की शुद्धता की मात्रा।

5. प्रारंभिक परिसंकट विश्लेषणों पर जानकारी, अर्थात् :--

(क) दुर्घटना के प्रकार

(ख) प्रणाली घटक या घटनाएं जिनसे कोई व्यापक दुर्घटना हो सकती है।

(ग) परिसंकट

(घ) सुरक्षा सुसंगत संघटक

6. सुरक्षा का वर्णन--अन्य बातों के साथ साथ सुसंगत एकक :

(क) विशेष डिजाइन मानदंड

(ख) नियंत्रण और संचेतक

(ग) विशेष राहत व्यवस्था

(घ) द्रुति कार्य मान

(ङ) संग्रह टैंक/खास टंकी।

(च) छितराव प्रणाली

(छ) आग बुझाना आदि

7. परिसंकट निर्धारण पर जानकारी, अर्थात् :--

(क) परिसंकट की पहचान

(ख) व्यापक दुर्घटनाओं के कारण

(ग) परिसंकटों के घटित होने के आवृत्ति के अनुसार उनका निर्धारण।

(घ) दुर्घटना परिणामों का निर्धारण

(ङ) सुरक्षा प्रणाली

(च) ज्ञात दुर्घटना पूर्ववृत्त।

8. औद्योगिक क्रियाकलाप सुरक्षा चलाने के लिए प्रयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था पर जानकारी का वर्णन, अर्थात् :--

(क) अनुसूचियों का बनाए रखना और उनका निरीक्षण,

(ख) कर्मकारों के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन,

(ग) संयंत्र सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व का आवंटन और प्रत्यायोजन,

(घ) सुरक्षा प्रक्रिया का कार्यान्वयन

IndiaCode

9. व्यापक दुर्घटनाओं के परिणामों के निर्धारण पर जानकारी अर्थात् :—

(क) परिसंकटमय रसायनों के या उनकी संभावित निर्मुक्ति का निर्धारण,

(ख) निर्मुक्त रसायन का संभावित वितरण,

(ग) निर्मोचनों के प्रभाव का निर्धारण (प्रभावित क्षेत्र का आकार, स्वास्थ्य प्रभाव, सम्पत्ति का नुकसान।)

10. व्यापक दुर्घटनाओं को कम करने पर जानकारी, अर्थात् :—

(क) अग्नि दस्ता

(ख) संचेतक प्रणाली

(ग) आपात योजना जिसमें आपात से निपटने के लिए प्रयुक्त संगठन व्यवस्था है, संचेतक और संचार मार्ग, आपात से निपटने के लिए मार्गदर्शन परिसंकटमय रसायनों के बारे में जानकारी, संभावित दुर्घटना क्रमों के उदाहरण;

(घ) जिला आपात प्राधिकरण और उसके स्थल से दूर आपात योजना के साथ समन्वयन;

(ङ) दुर्घटना की दशा में परिसंकट की प्रकृति और उसके विस्तार की अधिसूचना;

(च) किसी परिसंकटमय रसायन की निर्मुक्ति की दशा में ऐंटिडोट।

अनुसूची 9

(नियम 17 देखिए)

सुरक्षा आंकड़े शीट

1. रासायनिक पहचान

रासायनिक नाम		रासायनिक वर्गीकरण	
समनाम		व्यापार चिन्ह	
सूत्रयोग		सी ए एस संख्या	यू.एन. संख्या
विनियमित पहचान	पोत परिवहन नाम कोड/लेबल		हेजचेम संख्या
	परिसंकटमय अपशिष्ट आई डी संख्या		

परिसंकटमय संघटक	सी ए एस संख्या	परिसंकटमय संघटक	सी ए एस संख्या
1.		3	
2		4	

2. भौतिक और रासायनिक आंकड़े

क्वथन रेंज/क्वथनांक	0सी	भौतिक स्थिति	आविर्भाव
गलनताप/हिमांक	0सी	वाष्प दाब @350 सी	गंध एम एम एच जी
वाष्प घनत्व (वायु = 1)		जल में विलेयता @30 सी	अन्य
विनिर्दिष्ट गुरुत्व (जल = 1)		पी एच	

3. अग्नि और विस्फोट परिसंकट आंकड़े

ज्वलनशीलता	हां/नहीं	एच ई एल	प्रतिबल	प्रज्वलन ताप 0सी	स्वतोज्वली तापमान 0 सी

टी बी जी ज्वलनशीलता	यू ई एल	यू ई एल	प्रतिशत	प्रज्वलन ताप ऊंची	परिसंकटमय वहन उत्पाद
विस्फोट प्रभाव सुग्राहिता परिसंकटमय बहुलीकरण				स्थिर विद्युत विस्फोट सुग्राहिता	
वाहय प्रभाव		विस्फोटक सामग्री		संक्षारक सामग्री	
ज्वलंशील सामग्री		उपचायक		अन्य	
स्वत:ज्वलनी सामग्री		कार्बनिक परआक्साइड			

4. अपक्रांतिकता आंकड़े
रासायनिक स्थायित्व
अन्य सामग्री से असंगतता
अपक्रांतिकता
परिसंकटमय अभिक्रिया उत्पाद
5—स्वास्थ्य परिसंकट आंकड़े
प्रवेश मार्ग
प्रभावित होने के प्रभाव लक्षण
आपात चिकित्सा

टीएल वी (ए सी जी आई एच)	पी पी एम	एम वाई एम 3	एस टी ई एल	पी पी एम	एम जी/एम सी
अनुज्ञेय विस्फोट सीमा एल डी 50		एम वाई एम 3	संघ वेहली एल सी 50	पी पी एम	एम जी/एम सी

एन एफ़ पीए	परिसंकट संकेत	स्वास्थ्य	ज्वलंशीलता	स्थायित्व	विशेष

6—निवारक उपाय
व्यक्तिगत संरक्षनात्मक उपस्कर
हथालने और भंडारण संबंधी पूर्वसावधानियां
7. आपात और प्रथम उपचार उपाय

अग्नि	अग्नि शामन माध्यम	
	विशेष प्रक्रिया	
	अप्रायिक परिसंकट	
प्रभाव	प्राथमिक उपचार	
	एन्टिडोट/डोज	
अधिप्लावन	की जाने वाली कार्यवाहियां	
	अपशिष्ट व्ययन के तरीके	

8. अतिरिक्त जानकारी/निर्देश

9. विनिर्माता/प्रचायकर्ता आंकड़े

फ़र्म का नाम, डाक पता	आपात में संपर्क व्यक्ति
टेलीफ़ोन/टेलेक्स सं. तार पता	अस्तर्वलित स्थानीय निकाय
	मानक पैकिंग
	ट्रेमकोर्ड विवरण/निर्देश
	अन्य

10. दायित्याग

इस सामग्री आंकड़े शीट में अन्तर्विष्ट जानकारी के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह विश्वसनीय है किन्तु किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए या उनसे परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी शुद्धता, उपयुक्तता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन, प्रत्याभूति या वारंटी नहीं की गई है। यह सुनिश्चित करना विनिर्माता/विक्रेता का कर्त्तव्य होगा कि सामग्री सुरक्षा आंकड़े शीट में अन्तर्विष्ट जानकारी उसके द्वारा, यथास्थिति विनिर्मित हथाले गए या विक्रीत उत्पाद के लिए सुसंगत है। सरकार किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस दस्तावेज के औचित्य की बाबत अभिव्यक्त या विवक्षित कोई वारंटी नहीं करता चाहती ।

अनुसूची 10

[नियम 18(5) देखिए]

(आयातित परिसंकटमय रसायनों का अभिलेख बनाए रखने के लिए फ़ारमेट)

1. आयातकर्ता का नाम और पता :

2. परिसंकटमय रसायनों का आयात करने की अनुज्ञा जारी करने की तारीख और उसका निर्देश संख्यांक ।

3. परिसंकटमय रसायनों का वर्णन :

(क) भौतिक रूप

(ख) रसायनिक रूप

(ग) कुल वाल्यूम और भार (किलोमीटर/टनों में)

4. आयात के प्रयोजन का वर्णन

5. परिसंकटमय रसायनों के भंडारण का वर्णन :

(क) तारीख

(ख) भंडारण का ढंग

[17)(1)/87-पी एल/एच एस एम डी]

डा. जी. सुन्दरम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1989

S.O. 966 (E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) ;

(b) "Authority" means an authority mentioned in Column 2 of Schedule 5 ;

(c) "export" with its grammatical variations and cognate expression, means taking out of India to a place outside India ;

(d) "exporter" means any person under the jurisdiction of the exporting country and includes the exporting country, who exports hazardous chemical ;

(e) "hazardous chemical" means,—

(i) any chemical which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule ;

(ii) any chemical listed in Column 2 of Schedule 2;

(iii) any chemical listed in Column 2 of Schedule 3 ;

(f) "import", with its grammatical variations and cognate expression, means bringing into India from a place outside India ;

(g) "importer" means an occupier or any person who imports hazardous chemicals ;

(h) "industrial activity" means,—

(i) an operation or process carried out in an industrial installation referred to in Schedule 4 involving or likely to involve one or more hazardous chemicals and includes on-site storage or on-site transport which is associated with that operation or process, as the case may be ; or

(ii) isolated storage ; or

(iii) pipeline ;

(i) "isolated storage" means storage of a hazardous chemical, other than storage associated with an installation on the same site specified in Schedule 4 where that storage involves atleast the quantities of that chemical set out in Schedule 2 ;

(j) "major accident" means an occurrence including any particular major emission,

IndiaCode

fire or explosion involving one or more hazardous chemicals and resulting from uncontrolled developments in the course of an industrial activity or due to natural events leading to seriaus effects both immediate or delayed, inside or outside the installation likely to cause substantial loss of life and property including adverse effects on the environments ;

(k) "pipeline" means a pipe (together with any apparatus and works associated therewith) or system of pipes (together with any apparatus and works associated therewith) for the conveyance of a hazardous chemical other than a flammable gas as set out in Column 2 of Part II of Schedule 3 at a pressure of less than 8 bars absolute ; the pipeline also includes interstate pipelines ;

(l) 'Schedule" means Schedule appended to these rules ;

(m) "site" means any location where hazardous chemicals are manufactured or processed, stored, handled, used, disposed of and includes the whole of an area under the control of an occupier and includes pier, jetty or similar structure whether floating or not ;

(n) "Threshold quantity" means,–

(i) in the case of a hazardous chemical specified in Column 2 of Schedule 2, the quantity of that chemical specified in the corresponding entry in Columns 3 & 4 ;

(ii) in the case of a hazardous chemical spefied in Column 2 of Part I of Schedule 3, the quantity of that chemical specified in the corresponding entry in Columns 3 & 4 of that part ;

(iii) in the case of substances of a class specified in Column 2 of Part II of Schedule 3, the total quantity of all substances of that class specified in the corresponding entry in Column 3 & 4 of that part.

3. Duties of authorities.–Subject to the other provisions of these rules, the authority shall perform duties as specified in Column 3 of Schedule 5.

4. General responsibility of the occupier during industrial activity.– (1) This rules shall apply to,–

(a) an industrial activity in which a hazardous chemical, which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule is or may be involved ; and

(b) isolated storage in which there is involved a threshold quantity of a hazardous chemical listed in Schedule 2 in Column 2 which is equal to or more than the threshold quantity specified in the Schedule for that chemical in Column 3 thereof.

(2) An occupier who has control of an industrial activity in terms of sub-rule (1) shall provide evidence to show that he has,–

(a) identified the major accident hazards; and

(b) taken adequate steps to—

(i) prevent such major accidents and to limit their consequences to persons and the environment ;

(ii) provide to the persons working on the site with the information, training and equipment including antidotes necessary to ensure their safety.

5. Notification of Major accident.– (1) Where a major accident occurs on a site, the occupier shall forthwith notify the concerned authority as identified in Schedule 5 of that accident, and furnish thereafter to the concerned authority a report relating to the accidents in instalments, if necessary, in Schedule 6.

(2) The concerned authority shall on receipt of the report in accordance with sub-rule 1 of this rule, shall undertake a full analysis of the major accident and send the requisite information to the Ministry of Environment and Forests through appropriate channel.

(3) Where an occupier has notified a major accident to the concerned authority under respective legislation, he shall be deemed to have complied with the requirements as per sub-rule 1 of this rule.

6. Industrial activity to which rules 7 to 15 apply.–

(1) Rules 7 to 15 shall apply to,–

(a) an industrial activity in which there is involved a quantity of a hazardous chemical listed in Column 2 of Schedule 3 which is equal to or more than the quantity specified in the entry for that chemical in Columns 3 & 4 (Rules 10-12 only for Column 4) and

(b) isolated storage in which there is involved a quantity of a hazardous chemical listed in Column 2 of Schedule 2 which is equal to or more than the quantity specified in the entry for that chemical in Column 4.

(2) For the purposes of rules 7 to 15,–

(a) "new industrial activity" means an industrial activity which—

(i) commences after the date of coming into operation of these rules ; or

(ii) if commenced before that date, is an industrial activity in which a modification has been made which is likely to cover major accident hazards, and that activity shall be deemed to have commenced on the date on which the modification was made ;

(b) an "existing industrial activity" means an industrial activity which is not a new industrial activity.

7. Notification of sites.—(1) An occupier shall not undertake any industrial activity unless he has submitted a written report to the concerned authority containing the particulars specified in Schedule 7 at least 3 months before commencing that activity or before such shorter time as the concerned authority may agree and for the purposes of this paragraph, an activity in which subsequently there is or is liable to be a threshold quantity or more of an additional hazardous chemical shall be deemed to be a different activity and shall be notified accordingly.

(2) No report under sub-rule (1) need to be submitted by the occupier if he submits a report under rule 10(1).

8. Updating of the site notification following changes in the threshold quantity.—Where an activity has been reported in accordance with rule 7 (1) and the occupier makes a change in it (including an increase or decrease in the maximum threshold quantity of a hazardous chemical to which this rule applies which is or is liable to be at the site or in the pipeline or at the cessation of the activity) which affects the particulars specified in that report or any subsequent report made under this rule. The occupier shall forthwith furnish a further report to the concerned authority.

9. Transitional provisions.—Where,—

(a) at the date of coming into operation of these rules, an occupier is in control of an existing industrial activity which is required to be reported under rule 7 (1); or

(b) within 6 months after that date an occupier commences any such new industrial activity;

it shall be a sufficient compliance with that rule if he reports to the concerned authority as per the particulars in Schedule 7 within 3 months after the date of coming into operation of these rules or within such longer time as the concerned authority may agree in writing.

10. Safety reports.—(1) Subject to the following paragraphs of this rule, an occupier shall not undertake any industrial activity to which this rule applies, unless he has prepared a safety report on that industrial activity containing the information specified in Schedule 8 and has sent a copy of that report to that concerned authority at least ninety days befor commencing that activity.

(2) In the case of a new industrial activity which an occupier commences, or by virtue of sub-rule (2) (a) (ii) of rule 6 is deemed to commence, within 6 months after coming into operation of these rules, it shall be a sufficient compliance with sub-rule (1) of this rule if the occupier sends to the concerned authority a copy of the report required in accordance with that sub-rule within ninety days after the date of coming into operation of these rules,

(3) In the case of an existing industrial activity, until five years from the date of coming into operation of these rules, it shall be a sufficient compliance with sub-rule (1) of this rule if the occupier on or before ninety days from the date of the coming into operation of these rules sends to the concerned authority the information specified in Schedule 7 relating to that activity.

11. Updating of reports under Rule 10.—(1) Where an occupier has made a safety report in accordance with sub-rule (1) of rule 10 he shall not make any modification to the industrial activity to which that safety report relates which could materially affect the particulars in that report, unless he has made a further report to take account of those modifications and has sent a copy of that report to the concerned authority at least 90 days before making those modifications.

(2) Where an occupier has made a report in accordance with rule 10 and sub-rule (1) of this rule and that industrial activity is continuing, the occupier shall within three years of the date of the last such report, make a further report which shall have regard in particular to new technical knowledge which has affected the particulars in the previous report relating to safety and hazard assessment, and shall within 30 days or in such longer time as the concerned authority may agree in writing, send a copy of the report to the concerned authority.

12. Requirements for further information to be sent to the authority.—(1) Where, in accordance with rule 10, an occupier has sent a safety report relating to an industrial activity to the concerned authority, the concerned authority may, by a notice served on the occupier, requires him to provide such additional information as is specified in the notice and the occupier shall send that information to the concerned authority within such time as is specified in the notice or within such extended time as the authority may subsequently specify.

13. Preparation of on-site emergency plan by the occupier.—(1) An occupier shall prepare and keep up-to-date an on-site emergency plan detailing how major accidents will be dealt with on the site on which the industrial activity is carried on and that plan shall include the name of the person who is responsible for safety on the site and the names of those who are authorised to take action in accordance with the plan in case of an emergency.

(2) The occupier shall ensure that the emergency plan prepared in accordance with sub-rule (1), takes into account any modification made in the industrial activity and that every person on the site who is affected by the plan is informed of its relevant provisions.

(3) The occupier shall prepare the emergency plan required under sub-rule (1),—

(a) in the case of a new industrial activity, before that activity is commenced;

(b) in the case of an existing industrial activity within 90 days of coming into operation of these rules.

14. Preparation of off-site emergency plans by the authority.—(1) It shall be the duty of the concerned authority as identified in Column 2 of Schedule 5 to prepare and keep up-to-date an adequate off-site emergency plan detaining how emergencies relating to a possible major accident on that site will be dealt with and in preparing that plan the concerned authority shall consult the occupier, and such other persons as it may deem necessary.

(2) For the purpose of enabling the concerned authority to prepare the emergency plan required under sub-rule (1), the occupier shall provide the concerned authority with such information relating to the industrial activity under his control as the concerned authority may require, including the nature, extent and likely effects off-site of possible major accidents and the authority shall provide the occupier with any information from the off-site emergency plan which relates to his duties under rule 11.

(3) The concerned authority shall prepare its emergency plan required under sub-rule (1)—

(a) in the case of a new industrial activity, before that activity is commenced;

(b) in the case of an existing industrial activity, within six months of coming into operation of these rules.

15. Information to be given to persons liable to be affected by a major accident.—(1) The occupier shall take appropriate steps to inform persons outside the site either directly or through District Emergency Authority who are likely to be in an area which may be affected by a major accident about—

(a) the nature of the major accident hazard; and

(b) the safety measures and the 'Dos' and 'Donts' which should be adopted in the event of a major accident.

(2) The occupier shall take the steps required under sub-rule (1) to inform persons about an industrial activity, btfore that activity is commenced, except, in the case of an existing industrial activity in which case the occupier shall comply with the requirements of sub-rule (1) within 90 days of coming into operation of these rules.

16. Disclosures of information.—(1) Where for the purpose of evaluating information notified under rule 5 or 7 to 15, the concerned authority discloses that information to some other person, that other person shall not use that information for any purpose except for the purpose of the concerned authority disclosing it, and before disclosing the information the concerned authority shall inform that other person of his obligations under this paragraph.

17. Collection, Development and Dissemination of Information.—(1) This rule shall apply to an industrial activity in which a hazardous chemical which satisfies any of the criteria laid down in part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule is or may be involved.

(2) An occupier, who has control of an industrial activity in term of sub-rule 1 of this rule, shall arrange to obtain or develop information in the form of safety data sheet as specified in Schedule 9. The information shall be accessible upon request for reference.

(3) The occupier while obtaining or developing a safety data sheet as specified in Schedule 9 in respect of a hazardous chemical handled by him shall ensure that the information is recorded accurately and reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. In case, any significant information regarding hazard of a chemical is available, it shall be added to the material safety data sheet as specified in Schedule 9 as soon as practicable.

(4) Every container of a hazardous chemical shall be clearly labelled or marked to identify,—

(a) the contents of the container;

(b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous chemical;

(c) the physical, chemical and toxicological data as per the criteria given at Part I of Schedule 1.

(5) In terms of sub-rule 4 of this rule where it is impractical to label a chemical in view of the isze of the container or the nature of the package, provision should be made for other effective means like tagging or accompanying documents.

18. Import of hazardous chemicals.—(1) This rule shall apply to a chemical which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule.

(2) Any person responsible for importing hazardous chemicals in India shall provide at the time of import or within thirty days from the date of import to the concerned authorities as identified in Column 2 of Schedule 5 the information pertaining to—

(i) the name and address of the person receiving the consignment in India;

(ii) the port of entry in India;

(iii) mode of transport from the exporting country to India;

(iv) the quantity of chemical(s) being imported; and

(v) complete product safety information.

(3) If the concerned authority at the State is satisfied that the chemical being imported is likely to cause major accident, it may direct the importer to take such steps including stoppage of such imports as the concerned authority at the State may deem it appropriate.

IndiaCode

(4) The concerned authority at the State shall simultaneously inform the concerned Port Authority to take appropriate steps regarding safe handling and storage of hazardous chemicals while off-loading the consignment within the port premises.

(5) Any person importing hazardous chemicals shall maintain the records of the hazardous chemicals imported as specified in Schedule 10 and the records so maintained shall be open for inspection by the concerned authority at the State or the Ministry of Environment and Forests or any officer appointed by them in this behalf.

(6) The importer of the hazardous chemical or a person working on his behalf shall ensure that transport of hazardous chemicals from port of entry to the ultimate destination is in accordance with the Central Motor Vehicles Rules, 1989 framed under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988.

19. Improvement notices.—(1) If the concerned authority is of the opinion that a person has contravened the provisions of these rules, the concerned authority shall serve on him a notice (in this para referred to as "an improvement notice") requiring that person to remedy the contravention or, as the case may be, the matters occasioning it within such period as may be specified in the notice.

(2) A notice served under sub-rule (1) shall clearly specify the measures to be taken by the occupier in remedying said contraventions.

20. Power of the Central Government to modify the Schedules.—The Central Government may, at any time, by notification in the Official Gazette, make suitable changes in the Schedules.

SCHEDULE 1

[See rule 2(e)(i), 4(1)(a), 4(2)(i), 17 and 18]

Indicative Criteria and List of Chemicals

PART I

(a) Toxic Chemicals :

Chemicals having the following values of acute toxicity and which, owing to their physical and chemical properties, are capable of producing major accident hazards.

Sl. No.	Degree of Toxicity	Medium lethal dose by the oral route (oral toxicity) LD50 (mg/kg body weight of test animals)	Medium lethal dose by the dermal route (dermal toxicity) LD50 (mg/kg body weight of test animals)	Medium lethal concentration by inhalation route (four hours) LC50 (mg/l inhalation in test animals)
1.	Extremely toxic	1—50	1—200	0.1—0.5
2.	Highly toxic	51—500	201—2000	0.5—2.0

(b) Flammable chemicals :

(a) flammable gases : chemicals which in the gaseous state at normal pressure and mixed with air become flammable and the boiling point of which at normal pressure is 20°C or below ;

(ii) highly flammable liquids : chemicals which have a flash point lower than 23°C and the boiling point of which at normal pressure is above 20°C ;

(iii) flammable liquids : chemicals which have a flash point lower than 65°C and which remain liquids under pressure, where particular processing conditions, such as high pressure and high temperature, may create major accident hazards.

(c) Explosives :

Chemicals which may explode under the effect of flame, heat or photo-chemical conditions or which are more sensitive to shocks or friction than dinitrobenzene.

PART II

LIST OF HAZARDOUS AND TOXIC CHEMICALS

Sl. No.	Name of the Chemical
1	2
1.	Acetone
2.	Acetone Cyanohydrine
3.	Acetyl Chloride
4.	Acetylene (Ethyne)
5.	Acrolein (2-Propenal)
6.	Acrylonitrile
7.	Aldicarb
8.	Aldrin
9.	Alkyl Phthalate
10.	Allyl Alcohol
11.	Allylamine
12.	Alpha Naphthyl Thiourea (Antu)
13.	Aminodiphenyl,-4
14.	Aminophenol-2
15.	Amiton
16.	Ammonia
17.	Ammonium Nitrate
18.	Ammonium Nitrates in fertilizers
19.	Ammonium Sulfamate
20.	Anabasine
21.	Aniline
22.	Anisidine-p
23.	Antimony and Compounds
24.	Antimony Hydride (Stibine)
25.	Arsenic Hydride (Arsine)
26.	Arsenic Pentoxide, (Arsenic) (v) Acide and Salts
27.	Arsenic Trioxide, Arsenious (iii) Acids and Salts
28.	Asbestos
29.	Azinphos-Ethyl
30.	Azinphos-Methyl
31.	Barium Azide
32.	Benzene
33.	Benzidine
34.	Benzidine Salts
35.	Benzoquinone

Indiacode

36. Benzoyl Chloride
37. Benzoyl Peroxide
38. Benzyl Chloride
39. Benzyl Cyanide
40. Beryllium (Powders, Compounds)
41. Biphenyl
42. Bis (2-Chloromethyl) Ketone
43. Bis (2, 4, 6-Trinitrophenyl) Amine
44. Bis (2-Chloroethyl) Sulphide
45. Bis (Chloromethyl) Ether
46. Bis (tert-Butylperoxy) Butane,-2, 2
47. Bis (tert-Butylperoxy) Cyclohezane, 1, 1
48. Bis-, 2 TRIBROMOPHENOXY-Ethane
49. Bisphenol
50. Boron and Compounds
51. Bromine
52. Bromine Pentafluoride
53. Bromoform
54. Butadiene-1, 3
55. Butane
56. Butanethiol
57. Butanone-2
58. Butoxy Ethanol
59. Butyl Glycidal Ether
60. Butyl Peroxyacetate, tert
61. Butyl Peroxyisobutyrate, tert
62. Butyl Peroxyisopropyl Carbonate, tert
63. Butyl Peroxymaleate, tert
64. Butyl Peroxypivalate,-tert
65. Butyl Vinyl Ether
66. Butyl-n-Mercaptan
67. Butylamine
68. C 9-Aromatic Hydrocarbon Fraction
69. Cadmium and Compounds
70. Cadmium Oxide (fumes)
71. Calcium Cyanide
72. Captan
73. Captofol
74. Carbaryl (Sevin)
75. Carbofuran
76. Carbon Disulphide
77. Carbon Monoxide
78. Carbon Tetrachloride
79. Carbophenothion
80. Cellulose Nitrate
81. Chlorates (used in explosives)
82. Chlordane
83. Chlorfenvinphos
84. Chlorinated Benzenes
85. Chlorine
86. Chlorine Di Oxide
87. Chlorine Oxide
88. Chlorine Trifluoride
89. Chlormequat Chloride
90. Chloroacetalchloride
91. Chloroacetaldehyde
92. Chloroaniline,-2
93. Chloroaniline,-4
94. Chlorobenzene
95. Chlorodiphenyl
96. Chloroepoxypropane
97. Chloroethanol
98. Chloroethyl Chloroformate
99. Chlorofluorocarbons
100. Chloroform
101. Chloroformyl,-4, Morpholine
102. Chloromethane
103. Chloromethyl Ether
104. Chloromethyl Methyl Ether
105. Chloronitrobenzene
106. Chloroprene
107. Chlorosulphonic Acid
108. Chlorotrinitrobenzene
109. Chloroxuron
110. Chromium and Compounds
111. Cobalt and Compounds
112. Copper and Compounds
113. Coumafuryl
114. Coumaphos
115. Coumatetralyl
116. Cresols
117. Crimidine
118. Cumene
119. Cyanophos
120. Cyanothoate
121. Cyanuric Fluoride
122. Cyclohexane
123. Cyclohexanol
124. Cyclohexanone
125. Cycloheximide
126. Cyclopentadiene
127. Cyclopentane
128. Cyclotetramethylenetetranitramine
129. Cyclotrimethylene Trinitramine
130. DDT
131. Decabromodiphenyl Oxide
132. Demeton
133. Di-Isobutyl Peroxide
134. Din-Propyl Peroxydicarbonate
135. Di-sec-Butyl Peroxydicarbonate
136. Dialifos
137. Diazodinitrophenol
138. Diazomethane
139. Dibenzyl Peroxydicarbonate
140. Dichloroacetylene
141. Dichlorobenzene-o
142. Dichlorobenzene-p

Indiacode

143. Dichloroethane
144. Dichlorocthyl Ether
145. Dichlorophenol, -2, 4
146. Dichlorophenol, -2, 6
147. Dichlorophenoxy Acetic Acid, -2, 4 (2, 4-D)
148. Dichloropropane, -1, 2
149. Dichlorosalicylic Acid, -3, 5
150. Dichlorvos (DDVP)
151. Dicrotophos
152. Dieldrin
153. Diepoxybutane
154. Diethyl Peroxydicarbonate
155. Diethylene Glycol Dintrate
156. Diethylene Triamine
157. Diethyleneglycol Butyl Ether/Diethyleneglycol Butyl Acetate
158. Diethylenetriamine (DETA)
159. Diglycidyl Ether
160. Dihydroperoxypropane, -2, 2
161. Diisobutyryl Peroxide
162. Dimefox
163. Dimethoate
164. Dimethyl Phosphoramidocyanidic Acid
165. Dimethyl Phthalate
166. Dimethylcarbomyl
167. Dimethylnitrosamine
168. Dinitrophenol, Salts
169. Dinitrotoluene
170. Dintro-o-Cresol
171. Dioxane
172. Dioxathion
173. Dioxolane
174. Diphacinone
175. Diphosphoramide Octamethyl
176. Dipropylene Glycolmethylether
177. Disulfoton
178. Endosulfan
179. Endrin
180. Epichlorohydrine
181. EPN
182. Epoxypropane, 1, 2
183. Ethion
184. Ethyl Carbamate
185. Ethyl Ether
186. Ethyl Hexanol, -2
187. Ethyl Mercaptan
188. Ethyl Methacrylate
189. Ethyl Nitrate
190. Ethylamine
191. Ethylene
192. Ethylene Chlorohydrine
193. Ethylene Diamine
194. Ethylene Dibromide
195. Ethylene Dichloride
96. Ethylene Glycol Dinitrate
97. Ethylene Oxide
98. Ethyleneimine
199. Ethylthiocyanate
200. Fensulphothion
201. Fluenetil
202. Fluoro, -4, -2-Hydroxybutyric Acid and Salts, Esters, Amides
03. Fluoroacetic Acid and Salts, Esters, Amides
04. Fluorobutyric Acid, -4, and Salts, Esters, Amides
205. Fluorocrotonic Acid, -4, and Salts, Esters, Amides
206. Formaldehyde
207. Glyconitrile (Hydroxyacetonitrile)
208. Guanyl, -1, -4-Nitrosaminoguanyl-1-Tetrazene
209. Heptachlor
210. Haxachloro Cyclopentadiene
211. Hexachlorocyclohexane
212. Hexachlorocy cloamethane
213. Hexachlorodibenzo-p-Dioxin,-1, 2, 3, 7, 8, 9
214. Hexafluoropropene
215. Hexametylphosphoramide
216. Hexamethyl, -3, 3, 6, 9, 9, -1, 2, 4, 5-Texbroxa-cyclononane
217. Hexamethylenediamine
218. Hexane
219. Hexanitrostlbene, -2, 2, 4, 4, 6, 6
220. Hexavalent Chromium
221. Hydrazino
222. Hydrazine Nitrate
223. Hydrochloric Acid
224. Hydrogen
225. Hydrogen Bromide (Hydrobromic Acid)
226. Hydrogen Chloride (Liquified Gas)
227. Hydrogen Cyanide
228. Hydrogen Fluoride
229. Hydrogen Selenide
230. Hydrogen Sulphide
231. Hydroquinone
232. Iodine
233. Isobenzan
234. Isodrin
235. Isophorone Diisocyanate
236. Isopropyl Ether
237. Juglone (5-Hydroxynaphthalene-1, 4-Dione)
238. Lead (inorganic fumes & dusts)
239. Lead 2, 4, 6-Trinitroresorcinoxide (Lead Styphnate)
240. Lead Azide
241. Leptophos
242. Lindane
243. Liquified Petroleum Gas (LPG)
244. Maleic Anhydride
245. Manganese & Compounds
246. Mercapto Benzothiazole
247. Mercury Alkyl

248. Mercury Fulminate
249. Mercury Methyl
250. Methacrylic Anhydride
251. Methacrylonitrile
252. Methacryloyl Chloride
253. Methamidophos
254. Methanesuphonyl Fluoride
255. Methanethiol
256. Methoxy Ethanol (2-Methyl Cellosolve)
257. Methoxyethylmercuric Acetate
258. Methyl Acrylate
259. Methyl Alcohol
260. Methyl Amylketone
261. Methyl Bromide (Bromomethane)
262. Methyl Chloride
263. Methyl Choloroform
264. Methyl Cyclohexene
265. Methyl Ethyl Ketone Peroxide
266. Methyl Hydrazine
267. Methyl Isobutyl Ketone
268. Methyl Isobutyl Ketone Peroxide
269. Methyl Isocyanate
270. Methyl Isothiocyanate
271. Methyl Mercaptan
272. Methyl Methacrylate
273. Methyl Parathion
274. Methyl Phosphonic Dichloride
275. Methyl-N, 2, 4, 6-Tetranitroaniline
276. Methylene Chloride
277. Methylenebis,-4, 4, (2-Chloroaniline)
278. Methyltrichlorosilane
279. Mevinphos
280. Molybdenum & Compounds
281. N-Methyl-N, 2, 4, 6-N-Tetranitroaniline
282. Naphtha (Coal Tar)
283. Naphthylamine, 2
284. Nickel & Compounds
285. Nickel Tetracarbonyl
286. Nitroaniline-O
287. Nitroaniline-P
288. Nitrobenzene
289. Nitrochlorobenzene-P
290. Nitrocyclohexane
291. Nitroethane
292. Nitrogen Dioxide
293. Nitrogen Oxides
294. Nitrogen Trifluoride
295. Nitroglycerine
296. Nitrophenol-P
297. Nitropropane-1
298. Nitropropane-2
299. Nitrosodimethylamine
300. Nitrotoluene
301. Octabromophenyl Oxide
302. Oleum
303. Oleylamine
304. OO-Diethyl S-Ethylsulphonylmethyl q
305. Oo-Diethyl S-Ethylsulphonylmethyl Phosphorothloate
306. OO-Diethyl S-Ethylthiomethyl Phospherothioate
307. OO-Diethyl S-Isopropyltniomethyl Phosphoroditnloate
308. OO-Diethyl S-Propylthiomethyl Phophorodithioate
309. Oxyamyl
310. Oxydisulfoton
311. Oxygen (Liquid)
312. Oxygen Difluoride
313. Ozone
314. Paroxon (Diethyl 4-Nitrophenyl Phosphate)
315. Paraquat
316. Parathion
317. Parathion Methyl
318. Paris green (Bis Aceto Hexametaarsenito Tetracopper)
319. Pentaborane
320. Pentabromodiphenyl Oxide
321. Pentabromophenol
322. Pentachloro Naphthalene
323. Pentachloroethane
324. Pentachlorophenol
325. Pentacrythritol Tetranitrate
326. Pentane
327. Peracetic Acid
328. Perchloroethylene
329. Perchloromethyl Mercaptan
330. Petanone, 2, 4-Methyl
331. Phenol
332. Phenyl Glycidal Ether
333. Phenylene p-Diamine
334. Phenylmercury Acetate
335. Phorate
336. Phosacetim
337. Phosalone
338 Phosfolan
339. Phosgene (Carbonyl Chloride)
340. Phosmet
341. Phosphamidon
342. Phosphine (Hydrogen Phosphide)
343. Phosphoric Acid and Esters
344. Phosphoric Acid, Bromoethyl Bromo (2, 2-Dimethylpropyl) Bromoethyl Ester
345. Phosphoric Acid, Bromoethyl Bromo (2, 2-Dimethylpropyl) Chloroethyl Ester
346. Bhosphoric Acid. Chloroethyl Bromo (2, 2-Dimethoxylpropyl) Chloroethylester
347. Phosphorous & Compounds
348. Phostalan
349. Picric Acid (2, 4, 6-Trinitrophenol)
350. Polybrominated Biphenyls
351. Potassium Arsenite
352. Potassium Chlorate
353. Promurit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3-Triazenethiocarboxamide)
354. Propanesultone-1, 3
355. Propen,-1,-2-Chloro-1,3-Diol-Diacetate
356. Propylene Dichloride

Indiacode

357. Propylene Oxide
358. Propyleneimine
359. Pyrazoxon
360 Selenium Hexafluoride
361. Semicarbazide Hydrochloride
362. Sodium Arsenite
363. Sodium Azide
364. Sodium Chlorate
365. Sodium Cyanide
366. Sodium Picramate
367. Sodium Selenite
368. Styrene, 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane
369. Sulfotep
370. Sulphur Dichloride
371. Sulphur Dioxide
372. Sulphur Trioxide
373. Sulphuric Acid
374. Sulphoxide, 3-Chloropropyloctyl
375. Tellurium
376 Tellurium Hexafluoride
377. Tepp
378. Terbufos
379. Tetrabromobisphenol-A
380. Tetrachloro, 2, 2, 5, 6, 2, 5-Cyclohexadiene-1, 4-Dione
381. Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin,, 2, 3, 7, 8 (TCDD)
382. Tetraethtyl Lead
383. Tetrafluoroethane
384. Tetramethylenedisulphotetramine
385. Tetramethyl Lead
386. Tetranitromethane
387. Thallium & Compounds
388. Thionazin
389. Thionyl Chloride
390. Tirpate
391. Toluene
392. Toluene-2-4-Diisocyanate
393. Toluidine-O
394. Toluene 2, 6-Diisocyanate
395. Trans-1, 4-Chlorobutene
396. Tri, -1 (Cyclohexyl) Stannyl-1H-1, 2, 4-Trazole
397. Triamino, -1, 3, 5, 2, 4, 6-Trintrozenzene
398. Tribromophenol, 2, 4, 6
399. Trichloro Acetyl Chloride
400. Trichloro Ethane
401. Trichloro Napthalene
402. Trichloro (chloromethyl) Silane
403. Trichlorodichlorophenylsilane
404. Trichloroethane, 1, 1, 1
405. Trichloroethyl Silane
406. Trichloroethylene
407. Trichloromethanesulphenyl Chloride
408. Trichlorophenol, 2, 2, 6
409. Trichloropnenol, 2, 4, 5
410. Triethylamine
411. Triethylenemelamine
412. Trimethyl Chlorosilane
413. Trimethylolpropane Phosphite
414. Trinitroaniline
415. Trinitroanisole, 2,24, 6
416. Trinitrobenzene
417. Trinitrobenzoic Acid
418. Trinitrocresol
419. Trinitrophenetole, 2, 4, 6
420. Trinitroresorcinol, 2, 4, 6 (Styphnic Acid)
421. Trintrotoluene
422. Triorthocresyl Phosphate
423. Triphenyltin Chloride
424. Turpentine
425. Uranium & Comopunds
426. Vanadium & Compounds
427. Vinyl Chloride
428. Vinyl Fluoride
429. Vinyl Toluene
430. Warfarin
431. Xylene
432. Xylidine
433. Zinc & Compounds
434. Zirconium & Compounds

SCHEDULE 2

[See rule 2(e)(ii), 4(1)(b), 4(2)(1) and 6(1)(b)]

Isolated Storage at Installations other than those covered by Schedule 4.

(a) The threshold quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between installations is not sufficient to avoid, in foreseeable circumstances, any aggravation of major acident hazards. These threshold quantities apply in any case to each group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the threshold quantity of a hazardous chemical at an isolated storage,account shall also be take of any hazardous chemical which is :—

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres of that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the same occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the-control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft ors hovercraft used for transporting it.

Sl. No.	Chemicals	Threshold Quantities (tonnes)	
		For application of Rules 4, 5 and 7-9.	For application of Rules 10 to 15
1.	2.	3.	4.
1.	Acrylonitrile	350	5,000
2.	Ammonia	60	600
3.	Ammonium nitrate (a)	350	2,500
4.	Ammonium nitrate fertilizers(b)	1,250	10,000
5.	Chlorine	10	25
6.	Flammable gases as defined in Schedule 1, paragraph (b)(i)	50	300
7.	Highly flammable liquids as defined in Schedule 1, paragraph (b)(ii)	10,000	10,0000
8.	Liquid oxygen	200	2,000
9.	Sodium chlorate	25	250
10.	Sulphur dioxide	20	500
11.	Sulphur trioxide	15	100

(a)This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is grater than 28 per cent by weight and to aqueous solutions of ammonium nitrate where the concentration of ammonium nitrate is graeter then 90 per cent by weight.

(b) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 per cent by weight (a compound-fertilizer contains ammonium nitrate together wtih phosphate and/or potash).

SCHEDULE 3

[See rule 2(e)(iii), 5 and 6 (1)(a)]

List of Hazardous Chemicals for Application of Rules 5 and 7 to 15.

(a) The quantities set-out-below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is not sufficient to avoid, in forseeable circumstances, any aggravation of major-accident hazards. These quantities apply in any case to each group of installatios belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

IndiaCode

(b) For the purpose of determining the threshold quantity of a hazardous chemical in an industrial installation, account shall also be taken of any hazardous chemicals which is :—

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres off that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the same occupier any part the boundary of which is within 500 metres the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft used for transporting it.

PART I

Named Chemicals

Sl. No.	Chemical	Threshold Quantity		CAS Number
		for application of Rules 5, 7-9 and 13—15	for application of Rules 10—12	
1.	2.	3.	4.	5.
	GROUP 1-TOXIC SUBSTANCES			
1.	Aldicarb	100 kg		116-06-3
2.	4-Aminodiphenyl	1 kg		96-67-1
3.	Amiton	1 kg		78-53-5
4.	Anabasine	100 kg		494-52-0
5.	Arsenic pentoxide, Arsenic (V) acid & salts	500 kg		
6.	Arsenic trioxide, Arsenious (III) acid & salts	100 kg		
7.	Arsine (Arsenic hydride)	10 kg		7784-42-1
8.	Azinphos-ethyl	100 kg		2642-71-9
9.	Azinphos-methyl	100 kg		86-50-0
10.	Benzidine	1 kg		92-87-5
11.	Benzidine salts	1 kg		
12.	Beryllium (powders compounds)	10 kg		
13.	Bis (2-chloroethyl) sulphide	1 kg		505-60-2
14.	Bis (chloromethyl) ether	1kg		542-88-1
15.	Carbofuran	100 kg		1563-66-2
16.	Carbophenothion	100 kg		786-19-6
17.	Chlorfenvinphos	100 kg		470-90-6
18.	4-(Chloroformyl) morpholine	1 kg		15159-40-7
19.	Chloromethyl methyl ether	1 kg		107-30-2
20.	Cobalt (metal, oxides,carbonates, sulphides, as powders)	I t		
21.	Crimidine	100 kg		535-89-7
22.	Cyanthoate	100kg		3734-95-0

1.	2.	3.	4.	5.
23.	Cycloheximide	100 kg		66-81-9
24.	Demeton	100 kg		8065-48-3
25.	Dialifos	100 kg		10311-84-9
26.	OO-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate	100 kg		2588-05-8
27.	OO-Diethyl S-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate	100 kg		2588-06-9
28.	OO-Diethyl S-ethylthiomethyl Phosphorothioate	100 kg		2600-69-3
29.	OO-Diethyl S-isopropylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg		78-52-4
30.	OO-Diethyl S-propylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg		3309-68-0
31.	Dimefox	100 kg		115-26-4
32.	Dimethylcarbamoyl chloride	1 kg		79-44-7
33.	Dimethylnitrosamine	1 kg		62-75-9
34.	Dimethyl phosphoramidocyanidic acid	1 t		63917-41-9
35.	Diphacinone	100 kg		82-66-6
36.	Disulfoton	100 kg		298-04-4
37.	EPN	100 kg		2104-64-5
38.	Ethion	100 kg		563-12-2
39.	Fensulfothion	100 kg		115-90-2
40.	Fluenetil	100 kg		4301-50-2
41.	Fluroacetic acid	1 kg		144-49-0
42.	Fluoroacetic acid, salts	1 kg		
43.	Fluoroacetic acid, esters	1 kg		
44.	Fluoroacetic acid, amides	1 kg		
45.	4-Fluorobutyric acid	1 kg		462-23-7
46.	4-Fluorobutyric acid, salts	1 kg		
47.	4-Fluorobutyric acid, esters	1 kg		
48.	4-Fluorobutyric acid,amides	1 kg		
49.	4-Fluorocrotonic acid	1 kk		37759-72-1
50.	4-Fluorocrotonic acid, salts	1 kg		
51.	4-Fluorocrotonic acid, esters	1 kg		
52.	4-Fluorocrotonic acid, amides	1 kg		
53.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid	1 kg		
54.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, salts	1 kg		
55.	4-Fluoro-2-hydroxybutryic acid, esters	1 kg		
56.	4-Fluoro--hydroxybutyric acid, amides	1 kg		
57.	Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile)	100 kg		107-16-4

IndiaCode

2.	3.	4.	5.
58. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin	100 kg		19408-74-3
59. Hexamethylphosphoramide	1 kg		680-31-9
60. Hydrogen selenide	10 kg		7783-07-5
61. Isobenzan	100 kg		297-78-9
62. Isodrin	100 kg		465-73-6
63. Juglone (5-Hydroxynaphthalene 1, 4-dione)	100 kg		481-39-0
64. 4,'-Methylenebis (2-chloroaniline)	10 kg		101-14-4
65. Methyl isocyanate	150 kg-	150 kg.	624-83-9
66. Mevinphos	100 kg		7786-34-7
67. 2-Naphthylamine	1 kg		91-59-8
68. Nickel (metal, oxides, carbonates, sulphide, as powders)	1 t		
69. Nickel tetracarbonyl	10 kg		13463-9-3
70. Oxydisulfoton	100 kg		2497-07-6
71. Oxygen difluoride	10 kg		7783-41-7
72. Paraoxon (Diethyl 4-nitrophenyl phosphate)	100 kg		311-45-5
73. Parathion	100 kg		56-38-2
74. Parathion-methyl	100 kg		298-00-0
75. Pentaborane	100 kg		19624-22-7
76. Phorate	100 kg		298-02-2
77. Phosacetim	100 kg		4104-14-7
78. Phosgene (carbonyl chloride)	750 kg	750 kg	75-44-5
79. Phosphamidon	100 kg		13171-21-6
80. Phosphine (Hydrogen phosphide)	100 kg		7803-51-2
81. Promurit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3-trinazenethiocarboxamide)	100 kg		5836-73-7
82. 1, 3-Propanesultone	1 kg		1120-71-4
83. 1-Propen-2-chloro-1, 3-diol diacetate	10 kg		10118-72-6
84. Pyrazoxon	100 kg		108-34-9
85. Selenium hexafluoride	10 kg		7783-79-1
86. Sodium selenite	100 kg		10102-18-8
87. Stibine (Antimony hydride)	100 kg		7803-52-3
88. Sulfotep	100 kg		3689-24-5
89. Sulphr dichloride	1 t		10545-99-0
90. Tellurium hexafluoride	100 kg		7783-80-4
91. TEPP	100 kg		107-49-3
92. 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1 kg		1746-01-6
93. Tetramethylenedisulphotetramine	1 kg		80-12-6
94. Thionazin	100 kg		297-97-2
95. Tirpate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithiolane-2-carboxaldehyde O-methylcarbamoyloxime))	100 kg		26419-73-8
96. Trichloromethanesulphenyl chloride	100 kg		594-42-3
97. 1-Tri (cyclohexyl) stannyl-1H-1, 2, 4-triazole	100 kg		41083-11-8

IndiaCode

1.	2.	3.	4.	5.
98.	Triethylenemelamine	10 kg		51-18-3
99.	Warfarin	100 kg		81-81-2
	GROUP 2-TOXIC SUBSTANCES			
100.	Acetone cyanohydrin (2-Cyanopropan-2-01)	200 t		— 75-86-5
101.	Acrolein (2-Propenal)	20 t		107-02-8
102.	Acrylonitrile	20 t	200 t	107-13-1
103.	Allyl alcohol (Propen-1-o1)	200 t		107-18-6
104.	Allylamine	200 t		107-11-9
105.	Ammonia	50 t	500 t	7664-41-7
106.	Bromine	40 t		7726-95-6
107.	Carbon disulphide	20 t	200 t	75-15-0
108.	Chlorine	10 t	25 t	7782-50-5
109.	Diphenyl methane di- socyanate (MDI)	20 t		101-68-8
110.	Ethylene dibromide (1, 2-Dibromoethane)	5 t		106-93-4
111.	Ethyleneimine	50 t		151-56-4
112.	Formaldehyde (concentration ≤90%)	5 t		50-00-0
113.	Hydrogen chloride (liquified gas)	25 t	250 t	7647-01-0
114.	Hydrogen cyanide	5 t	20 t	74-90-8
115.	Hydrogen fluoride	5t	50 t	7664-39-3
116.	Hydrogen sulphide	5 t	50 t	7783-06-4
117.	Methyl bromide (Bromomethane)	20 t		74-83-9
118.	Nitrogen oxides	50 t		11104-93-1
119.	Propyleneimine	50 t		75-55-8
120.	Sulphur dioxide	20 t	250 t	7446-09-5
121.	Sulphur trioxide	15 t	75 t	7446-11-9
122.	Tetraethyl lead	5 t		78-00-2
123.	Tetramethyl lead	5 t		75-74-1
124.	Toluene di-isocyanate (TDI)	10 t		584-84-9 75-01-4
	GROUP 3—HIGHLY REACTIVE SUBSTANCES			
125.	Acetylene (ethyne)	5 t		74-86-2
126.	a. Ammonium nitrate (1)	350 t	2 500 t	6484-52-2
	b. Ammonium nitrate in form of fertiliser (2)	1 250 t		
127.	2, 2-Bis (tert-butylperoxy) butane (cocentration ≥70%)	5 t		2167-23-9
128.	1, 1-Bic (tert-butylperoxy) cyclohexane (concentration— ≥ 80%)	5 t 5 t		3006-86-8 3006-86- 8
129.	tert-Butyl peroxyacetate (concentration≤ ≤70%)	5 t		107-71-1

IndiaCode

1.	2.	3.	4.	5.
130.	tert-Butyl peroxyisobutyrate (concentration—≧80%)	5 t		109-13-7
131.	tert-Butyl peroxy isopropyl carbonate (concentration—≧80%)	5 t		2372-21-6
132.	tert-Butyl peroxymaleate (concentration ≧80%)	5 t		1931-2-0
133.	tert-Butyl peroxypivalate (concentration ≧77%)	50 t		927-07-1
134.	Dibenzyl peroxydicarbonate (concentration—≧90%)	5 t		2144-45-8
135.	Di-sec-butyl peroxydicarbonate concentration—≧80%)	5 t		19910-5-0
136.	Diethyl peroxydicarbonate (concentration 30%)	50 t		14666-78-5
137.	2, 2-Dihydroperoxypropane (concentration—≧30%)	5 t		2614-76-8
138.	Di-isobutyryl peroxide (Concentration 50%)	50 t		3437-84-1
139.	Di-n-propyl peroxydicarbonate (concentration—80%)	5 t		16066-38-9
140.	Ethylene oxide	5 t	50 t	75-21-8
141.	Ethyl nitrate	50 t		625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-Hexamethyl-1,2,4,5-tetroxacyclononane (concentration—75%)	50 t		22397-33-7
143.	Hydrogen	2 t	50 t	1333-74-0
144.	Liquid oxygen	200 t		7782-44-7
145.	Methyl ethyl ketone peroxide (concentration—60%)	5 t		1338-23-4
146.	Methyl isobutyl ketone peroxide (concentration 60%)	50 t		37206-20-5
147.	Peracetic acid (concentration 60%)	50 t		79-21-0
148.	Propylene oxide	5 t		75-56-9
149.	Sodium chlorate	25 t		7775-09-9
	GROUP 4—EXPLOSIVE SUBSTANCES			
150.	Barium azide	50 t		18810-58-7
151.	Bis (2, 4, 6-trinitrophenyl) amine	50 t		131-73-7
152.	Chlorotrinitrobenzene	50 t		28260-61-9
153.	Cellulose nitrate (containing 12.6% Nitrogen)	50 t		9004-70-0
154.	Cyclotetramethylenetetranitramine	50 t		2691-41-0
155.	Cyclotrimethylenetrinitramine	50 t		121-82-4
156.	Diazodinitrophenol	10 t		7008-81-3
157.	Diethylene glycol dinitrate	10 t		693-21-0
158.	Dinitrophenol,salts	50 t		
159.	Ethylene glycol dinitrate	10 t		628-96-6

IndiaCode

1.	2.	3.	4.	5.
160.	1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene	10 t		109-27-3
161.	2, 2', 4, 4' 6, 6'-Hexanitrostilbene	50 t		20062-22-0
162	Hydrazine nitrate	50 t		13464-97-6
163.	Lead azide	50 t		13424-46-9
164.	Lead styphnate (Lead 2, 4, 6-trinitroresorcinoxide)	50 t		15245-44-0
165.	Mercury fulminate	10 t		20820-45-5 628-86-4
166.	N-Methyl-N, 2, 4, 6-tetranitroaniline	50 t		479-45-8
167.	Nitroglycerine	10 t	10 t	55-63-0
168.	Pentaerythritol tetranitrate	50 t		78-11-5
169.	Picric acid (2,4, 6-Trinitrophenol)	50 t		88-89-1
170.	Sodium picramate	50 t		831-52-7
171.	Styphnic acid (2, 4, 6-Trinitroresorcinol)	50 t		82-71-3
172.	1, 3, 5-Triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene	50 t		3058-38-6
173.	Trinitroaniline —	50 t		26952-42-1
174.	2, 4, 6-Trinitroanisole	50 t		606-35-9
175.	Trinitrobenzene	50 t		25377-32-6
176.	Trinitrobenzoic acid	50 t		35860-50-5 129-66-8
177.	Trinitrocresol	50 t		28905-71-7
178.	2, 4, 6-Trinitrophenitole	50 t		4732-14-3
179.	2, 4, 6-Trinitrotoluene	50 t	50 t	118-96-7

PART-II

Classes of Substances not specifically named in Part-I

1.	2.	3.	4.	5.
GROUP 5-FLAMMABLE SUBSTANCES				
1.	Flammable gases : Substances which in the gaseous state at normal pressure and mixed with air become flammable and the boiling point of which at normal pressure is 20°C or below;	15 t	200 t	
2.	Highly flammable liquids : Substances which have a flash point lower than 21° C and the boiling point of which at normal pressure is above 20°C;	1000 t	50 000 t	
3.	Flammable liquids : Substances which have a flash point lower than 55°C and which remain liquid under pressure, where particular processing conditions, such as high pressure and high temperature, may create major accident hazards.	25 t	200 t	

IndiaCode

(1) This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28% by weight and aqueous solutions of ammonium nitrate where the concentration of ammonium nitrate is greater than 90% by weight.

(2) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28% by weight (a compound fertilizer contains ammonium nitrate together with phosphate and/or potash).

SCHEDULE 4

[See rule 2 (h) (i)]

1. Installations for the production, processing or treatment of organic or inorganic chemicals using for this purpose, among others :

(a) alkylation
(b) Amination by ammonolysis
(c) carbonylation
(d) condensation
(e) dehydrogenation
(f) esterification
(g) halogenation and manufacture of halogens
(h) hydrogenation
(i) hydrolysis
(j) oxidation
(k) polymerization
(l) sulphonation
(m) desulphurization, manufacture and transformation of sulphur-containing compounds
(n) nitration and manufacture of nitrogen-containing compounds
(o) manufacture of phosphorous-containing compounds
(p) formulation of pesticides and of pharmaceutical products
(q) distillation
(r) extraction
(s) solvation
(t) mixing

2. Installations for distillation, refining or other processing of petroleum or petroleum products.

3. Installations for the total or partial disposal of solid or liquid substances by incineration or chemical decomposition.

4. Installations for production, processing or treatment of energy gases, for example, LPG, LNG, SNG.

5. Installations for the dry distillation of coal or lignite.

6. Installations for the production of metals or non-metals by a wet process or by means of electrical energy.

IndiaCode

SCHEDULE – 5

[See Rules 2(b) and 3)]

S. No.	Authority(ies) with legal backing	Duties and corresponding Rule
1	2	3
1.	Ministry of Environment and Forests under Environment (Protection) Act, 1986.	(1) Notification of hazardous chemicals as per Rules 2(e) (i) 2(e) (ii) & 2(e) (iii)
2.	Chief Controller Imports & Exports under Import & Export (Control) Act, 1947.	Import of hazardous chemicals as per Rule 17.
3.	Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board under Environment (Protection) Act, 1986 as the case may be.	(1) Enforcement of directions and procedures in respect of isolated storage of hazardous chemicals, regarding. (i) Notification of major accidents as per Rules 5(1) and 5(2) (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports in respect of isolated storages as per Rule 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (2) Import of hazardous Chemicals and enforcement of directions and procedures on import of hazardous chemicals as per Rule 17.
4.	Chief Inspector of Factories appointed under the Factories Act, 1948.	Enforcement of directins and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with hazardous chemicals and pipelines including inter-state pipelines regarding,— (i) Notification of major accidents as per Rule 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7–9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per Sr. No. 9 of this schedule.
5.	Chief Inspector of Dock Safety appointed under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986.	Enforcement of directions and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with hazardous chemicals and pipelines inside a port regarding.— (i) Notification of major accidents as per Rules 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12.

IndiaCode

1	2	3
		(iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per S. No. 9 of this Schedule.
6.	Chief Inspector of Mines appointed under the Mines Act, 1952.	Enforcement of directions and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with the hazardous chemicals and pipelines including inter-state pipelines regarding.— (i) Notification of major accidents as per Rule 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per S. No. 9 of this Schedule.
7.	Atomic Energy Regulatory Board appointed under the Atomic Energy Act, 1972.	Enforcement of directions and procedures as per the provisions of the Atomic Energy Act, 1972.
8.	Chief Controller of Explosives appointed under the Indian Explosives Act and Rules, 1983.	Enforcement of directions and procedures as per the provisions of the Indian explosives Act and Rules, 1983.
9.	District Collector or District Emergency Authority designated by the State Government.	Preparation of off-site emergency plans as per Rule 14.

SCHEDULE 6

[*See* rule 5(1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED REGARDING NOTIFICATION OF A MAJOR ACCIDENT

Report number.....
of the particular accident.

1. General data
 (a) Name of the site
 (b) Name and address of the manufacturer (Also state telephone/telex number)
 (c) (i) Registration number
 (ii) Licence number
 (As may have been allotted under any statute applicable to the site, e.g. the Factories Act)

(d) (i) Nature of industrial activity (Mention what is actually manufactured, stored etc.)

(ii) National Industrial Classification, 1987 at the four digit level. | | | |

2. Type of major accident

Explosion [] Fire [] Emission of dangerous substance []

Substance(s) Emitted

3. Description of the major accident

(a) Date, shift and hour of the accident

(b) Department/Section and exact place where the accident took place

(c) The process/operation undertaken in the Department/Section where the accident took place.
(Attached a flow chart, if necessary)

(d) The circumstances of the accident and the dangerous substance involved.

4. Emergency measures taken and measures envisaged to be taken to alleviate short term effects of the accident.

5. Causes of the major accident.

Known (to be specified) []

Not known []

Information will be supplied as soon as possible. []

6. Nature and extent of damage

(a) Within the establishment—casualties Killed
. Injured
. Poisoned

persons exposed to the major accident—.....

material damage []

danger is still present []

danger no longer exists []

IndiaCode

(b) Outside the establishment

casualties Killed
. Injured
. Poisoned

persons exposed to the major accident

material damage

damage to environment

the danger is still present

the danger no longer exists

7. Data available for assessing the effects of the accident on persons and environment.

8. Steps already taken or envisaged

(a) to alleviate medium or long term effects of the accident.

(b) to prevent recurrence of similar major accidents

(c) Any other relevant information.

IndiaCode

SCHEDULE 7

[*See* rule 7 (1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED FOR THE NOTIFICATION OF SITES

PART — I

Particulars to be included in a notification of a site.

1. The name and address of the employer making the notification.

2. The full postal address of the site where the notifiable industrial activity will be carried on.

3. The area of the site covered by the notification and of any adjacent site which is required to be taken into account by virtue of b(ii) of Schedules 2 and 3.

4. The date on which it is anticipated that the notifiable industrial activity will commence, or if it has already commenced a statement to that effect.

5. The name and maximum quantity liable to be on the site of each dangerous substance for which notification is being made.

6. Organisation structure, namely organisation diagram for the proposed industrial activity and set up for ensuring safety and health.

7. Information relating to the potential for major accidents, namely--
 (a) identification of major accident hazards;
 (b) the conditions or events which could be significant in bringing one about;
 (c) a brief description of the measures taken

8. Information relating to the site namely —
 (a) a map of the site and its surrounding area to a scale large enough to show any features that may be significant in the assessment of the hazard or risk associated with the site,—
 (i) area likely to be affected by the major accident,
 (ii) population distribution in the vicinity.
 (b) a scale plan of the site showing the location and quantities of all significant inventories of the hazardous chemicals;
 (c) a description of the process or storage involving the hazardous chemicals and an indication of the conditions under which it is normally held;
 (d) the maximum number of persons likely to be present on site.

9. The arrangement for training of workers and equipment necessary to ensure safety of such work.

PART II

Particulars to be included regarding pipeline—

1. The names and the address of the person making the notification.
2. The full postal address of the place from which the pipeline activity is controlled, addresses of the places where the pipeline starts and finishes and a map showing the pipeline route drawn to a scale of not less than 1 : 400000
3. The date on which it is anticipated that the notifiable activity will commence, or if it is already commenced a statement to that effect.
4. The total length of the pipeline, its diameter and normal operating pressure and the name and maximum quantity liable to be in the pipeline of each hazardous chemical for which notification is being made.

SCHEDULE 8

[*See* rule 10(1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED IN A SAFETY REPORT

1. The name and address of the person furnishing the information.
2. Description of the industrial activity, namely—
 (a) site,
 (b) construction design,
 (c) protection zones explosion protection, separation distances,
 (d) accessibility of plant,
 (e) maximum number of persons working on the site and particularly of those persons exposed to the hazard.
3. Description of the processes, namely—
 (a) technical purpose of the industrial activity,
 (b) basic principles of the technological process,
 (c) process and safety-related data for the individual process stages,
 (d) process description,
 (e) safety-related types of utilities.

4. Description of the hazardous chemicals, namely—
 (a) chemicals (quantities, substance data, safety-related data, toxicological data and threshold values),
 (b) the form in which the chemical may occur on or into which they may be transformed in the event of abnormal conditions,
 (c) the degree of purity of the hazardous chemical

5. Information on the preliminary hazard analysis, namely—
 (a) types of accident,
 (b) system elements or events that can lead to a major accident,
 (c) hazards,
 (d) safety—relevant components.

6. Description of safety—relevant units, among others;
 (a) Special design criteria,
 (b) controls and alarms,
 (c) special relief systems,
 (d) quick-acting valves,
 (e) collecting tanks/dump tank,
 (f) sprinkler system,
 (g) fire-fighting etc.

7. Information on the hazard assessment, namely—
 (a) identification of hazards,
 (b) the causes of major accidents,
 (c) assessment of hazards according to their occurrence frequency,
 (d) assessment of accident consequences,
 (e) safety systems,
 (f) known accident history.

8. Description of information on organisational systems used to carry on the industrial activity safety, namely—
 (a) maintenance and inspection schedules,
 (b) guidelines for the training of personnel,
 (c) allocation and delegation of responsibility for plant safety,
 (d) implementation of safety procedures.

9. Information on assessment of the consequences of major accidents, namely—
 (a) assessment of the possible release of hazardous chemicals or of energy
 (b) possible dispersion of released chemical
 (c) assessment of the effects of the releases (size of the affected area, health effects, property damage).

10. Information on the mitigation of major accidents, namely—
 (a) fire brigade
 (b) alarm systems,
 (c) emergency plan containing system of organisation used to fight the emergency, the alarm and the communiction routes, guidelines for fighting the emergency, information about hazardous chemicals, examples of possible accident sequences,

IndiaCode

(d) coordinaton with the District Emergency authority and its off-site emergency plan,

(e) notificaion of the nature and scope of the hazard in the event of an accident,

(f) antidotes in the event of a release of a hazardous chemical.

SCHEDULE 9

(*See* Rule 17)

SAFETY DATA SHEET

1. CHEMICAL IDENTITY

Chemical Name		Chemical Classification	
Synonyms		Trade Name	
Formula		C.A.S. No.	U.N. No. :
Regulated Identification	Shipping Name Codes/Label		Hazchem No. :
	Hazardous Waste I.D. No. :		
Hazardous Ingredients	C.A.S. No.	Hazardous Ingredients	C.A.S. No. :
1.		3.	
2.		4.	

2. PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

Boiling Range/Point °C		Physical State	Appearance
Melting/Freezing Point °C		Vapour Pressure @ 35°C mm Hg	Odour
Vapour Density (Air = 1)		Solubility in water @ 30 °C	Others
Specific Gravity Water = 1		pH	

3. FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

Flammability Yes/No	LEL %	Flash Point °C	Autoignition Temperature °C
TDG Flammability	UEL %	Flash Point °C	
Explosion Sensitivity to Impact		Explosion Sensitivity to Static Electricity	Hardous Combustion Products
Hazardous Polymerisation			
Combustible Liquid	Explosive Material	Corrosive Material	

IndiaCode

Flammable Material	Oxidiser	Others
Pyrophoric Material	Organic Peroxide	

4. REACTIVITY DATA

Chemcal Stability	
Incompatibility with other Material	
Reactivity	
Hazardous Reaction Products	

5. HEALTH HAZARD DATA

Routes of Entry	
Effects of Exposure/Symptoms	
Emergency Treatment	

TLV (ACGIH)	ppm	mg/m³	STEL	ppm	mg/m³
Permissible Exposure Limit LD_{50}	ppm	mg/m³	Odour Threshold ppm LD_{50}		mg/m³
NFPA Hazard Signals	Health		Flammability	Stability	Special

6. PREVENTIVE MEASURES

Personnel Protective Equipment	
Handling and Storage Precautions	

7. EMERGENCY AND FIRST AID MEASURE

FIRE	FIRE EXTINGUISHING Media

IndiaCode

FIRE	Special Procedures
	Unusal Hazards
EXPOSURE	First Aid Measures
	Antidotes/Dosages
SPILLS	Steps to be taken
	Waste Disposal Method

8. ADDITIONAL INFORMATION/REFERENCES

9. MANUFACTURER/SUPPLIERS DATA

Name of Firm Mailing Address Telephone/Telex Nos. Telegraphic Address	Contact Person in Emergency
	Local Bodies involved
	Standard Packing
	Tremcard Details/Ref
	Other

10. DISCLAIMER

Information contained in this material data sheet is believed to be reliable but no representation, guarantee or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for a particular application or results to be obtained from them. It is upto the manufacturer/seller to ensure that the information contained in the material safety data sheet is relevant to the product manufactured/handled or sold by him as the case may be. The Government makes no warranties expressed or implied in respect of the adequacy of this document for any particular purpose.

SCHEDULE 10

[*See* Rule 18(5)]

(Format for maintaining records of hazardous chemicals imported)

1. Name and address of the Importer :
2. Date and reference number of issuance of permission to import hazardous chemicals :

IndiaCode

3. Description of hazardous chemicals :
 (a) Physical form :
 (b) Chemical form :
 (c) Total volume and weight
 (in kilogrammes/tonnes)
4. description of purpose of import :
5. Description of storage of hazardous chemicals:
 (a) Date :
 (b) Method of storage :

[17(1)/87-PL/HSMD]
Dr. G. SUNDARAM, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

IndiaCode